**Seventeenth Loksabha**

>

Title: Combined Disscussion on statutory resolution regarding disapproval of essential commodities (amendment) ordinance, 2020 and passing of essential commodities (amendment) bill, 2020. (Statutory resolution negatived and Bill Passed)

**HON. CHAIRPERSON** : Now, we are taking Item Nos. 21 and 22 together. Prof. Sougata Ray to move the Statutory Resolution.

**PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** Sir, I beg to move:

> "That this House disapproves of the Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 8 of 2020) promulgated by the President on 5th June, 2020."

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) :** सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

**HON. CHAIRPERSON:** Motions moved:

> "That this House disapproves of the Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 8 of 2020) promulgated by the President on 5th June, 2020."

And

"That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955 be taken into consideration."

**PROF. SOUGATA RAY :** Sir, I speak in favour of the Statutory Resolution that I have given opposing the Essential Commodities (Amendment) Ordinance.

Black marketing and hoarding were always a problem in the country ever since the Second World War. Jawaharlal Nehru had said in 1946 that we shall hang the black marketeers from the nearest lamp post. Unfortunately, that did not happen. Black marketing went on. So, ultimately the country adopted an Essential Commodities Act in 1955. The Essential Commodities Act gave power to the State Government to regulate the trade including imposing stock limits for various intermediaries. Even now, though the country is surplus in most food grains, it cannot be denied that there is hoarding and black marketing taking advantage of seasonal shortages or floods or droughts. Now the Government wants to take away the powers of the State Government to regulate, and the power to fix stock limits is being taken away.

If we look at the Essential Commodities Act, what are the essential commodities? Essential commodities are fertilizers, drugs, foodstuffs, yarn, petroleum, raw jute, seeds of food-crops and seeds of cattle fodder, etc. So far, what was the position? The position was that this will be regulated. Commodities such as cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onions and potatoes will be regulated. Now, what does this Ordinance do that has been brought in a hurry? I do not understand what was the hurry in bringing the Ordinance. There is a provision to deregulate commodities such as cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onions and potatoes. The only addition is, now the Government has specifically

said that under extraordinary circumstances which include extraordinary price rise, war, famine, natural calamity of a severe nature, it can be regulated. But, otherwise, all these items will be deregulated.

I know that this Ordinance leaves out the Public Distribution System (PDS) and the Targeted Public Distribution System (TPDS) where under these systems food grains are distributed by the Government to the eligible persons at subsidised prices. So, what is the benefit the Government seeks to get from this? I say that there is no benefit.

Now, the Government has also said that there will be no control on the stocks of food items which have been processed. The stock limit shall not apply to a processor or value chain participant of any agricultural produce if the stock limit does not exceed the overall ceiling of installed capacity of processing, or the demand for export in case of an exporter. So, this is also left out of this control of stock limit.

Now, does the Government feel that there is no longer any possibility of shortage because we are an exporter? Sir, you have seen the pictures and sights of immigrants scrap for a morsel of food during the Covid-19 crisis. How did they scrap for a morsel of food?

Now, the Government may say that the ED Act was not effective because the conviction rate under ED Act was abysmal. It was 3.8 per cent. So, if the Government has set up an effective food framework to ensure speedy trial and disposal of violation cases, I could have understood. But we know that even after Narendra Modi Ji became Prime Minister, the pulses scam that involved the manipulation of prices in 2015, there the investigation by the Income Tax Department found several big multinational companies playing a major role in spiking the

prices of pulses. So, it has happened during Narendra Modi's Government itself.

Sir, we have to remember that India is still dependent on the monsoon for producing sufficient foodgrains. A majority of farm holding in India is small and marginal. That is why, an Essential Commodities Act must still be in place and all regulations must not be given up and opened to the market.

Recently, there is a scare of locust attack in Rajasthan. The locust attack destroys all crops. What happens if some States have locust attacks? Will you not control the stocks at that time? The El Nino phenomenon has hit the Indian agriculture hard in the past.

Sir, given the timing of this Amendment Ordinance, it is likely to benefit big traders, big corporates and MNCs but not the farmers directly. I want to say that the three farmer related Ordinances that were brought forward by this Modi Government are all meant to help the private sector, the multinationals, the big capitalists into foodgrains trade.

**17.37 hrs** (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

Sir, Reliance is already in selling vegetables through Reliance Fresh. I anticipate that Adani's will soon enter the field and these three ordinances will actually help the big capitalists to enter into the farmers places. I will speak on the other Ordinance later.

Sir, our policies, thus, must ensure sustainable farm growth taking into consideration factors like climate change, landholdings, consumer

capacity and the farmers' interests.

Sir, as I had mentioned yesterday that this Act is another example of quasi-federalism on display. Earlier, the States used to control the Essential Commodities Act. Every State had an enforcement branch which implemented the Essential Commodities. That power is being taken away. So far, India has ridden through shortages. We are happy that the farmer produces enough for our needs and even for exporting foodgrains.

But that does not mean a calamity cannot hit us. A calamity like the Covid-19 has hit us and we know the condition of the economy with a 24 per cent downslide in the economy. That is why, I am totally opposed to this Ordinance – the Essential Commodities (Amendment) Ordinance.

I think this is an effort to give benefit to big traders, corporates and MNCs so that they can enter the food trade; and the poor farmer will be left in the lurch through all this. Thank you very much.

**श्री पी. पी. चौधरी (पाली):** महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । यह बिल बहुत ही महत्वूर्ण है और इस बिल को मैं सपोर्ट करता हूँ । इस बिल में जो महत्वपूर्ण प्रोविजन जोड़ा जा रहा है, वह धारा 3(1)ए में जोड़ा जा रहा है । यह एक बहुत ही विजनरी स्टेप है । आने वाले टाइम में इससे जो बेनिफिट होंगे, देश का किसान होगा और आम कंज्यूमर होगा । हम

कह सकते हैं कि यह बिल सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं है, यह देश के सारे के सारे कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाने वाला है ।

चेयरमैन सर, मैं यह बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत की आत्मा गाँवों में है । हमारी 70 प्रतिशत पॉपुलेशन गाँवों में रहती है । हम लम्बे समय से देख रहे हैं कि जिस हिसाब से गाँव और शहर में एक बहुत बड़ा डिवाइड है, एक बहुत बड़ा गैप है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, चाहे डेवलपमेंट में देख लीजिए । प्रधान मंत्री मोदी जी का, भारत सरकार का यह सोचना है कि किसानों के हाथ में मनी जानी चाहिए और किसानों की इनकम वर्ष 2022 तक दोगुनी होनी चाहिए । यह भारत सरकार की और प्रधान मंत्री मोदी जी की स्टेटेड पॉलिसी है । इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल भी अपने आप में एक माइलस्टोन का रूप साबित करेगा । यही नहीं इकनॉमिक सर्वे में पूरा का पूरा चेप्टर जो आया है, उसमें लिखा है- 'Distortion of India's Agricultural Economy' आज जो जरूरत हैं, जो ओवरड्यू है, एग्री रिफॉर्म्स में, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने की, उसमें यह बिल अपने आप ही रोल अदा करेगा । क्योंकि हम देखते हैं कि जहां तक प्री-हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात है, प्री-हार्वेस्टिंग में काफी मेजर्स सरकार ने भी लिए, काफी स्कीम्स भी हैं, लेकिन पोस्ट हार्वेस्टिंग के जो मेजर्स हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग लोसेस और मैनेजमेंट जो है, वह देखने को नहीं मिल रहा है । प्री-हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग में एक जबर्दस्त बोटलनेक बना हुआ है । यह कोविड-19 जो आया है, हमारे प्रधान मंत्री जी का भी मानना है, पूरे देश का मानना है कि इस अपॉर्च्युनिटी को हमें ग्रेप करना चाहिए और इस अपॉर्च्युनिटी के साथ चलना चाहिए । यही वजह है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग अपॉर्च्युनिटी को लेने के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिससे पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट और उनके लोसेस खत्म किए जा सकें । उसके लिए एक लाख करोड़ रुपये प्रावधान किया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है । क्योंकि पहले वाले जो एक्ट हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, 1955 है, वह अपने आप में कई रिस्ट्रक्शन्स होने की वजह से उसका जो उपयोग होना चाहिए, वह उपयोग नहीं हो रहा है, काउंटर प्रोडक्टिव काम किया है ।

अभी हाल ही में तीन बिल्स जो पार्लियामेंट के सामने आए हैं, एक बिल एसेंशियल कमोडिटीज़ का, दूसरा बिल कान्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तीसरा बिल एपीएमसी के संबंध में जो अमेंडमेंट है, ये तीनों बिल अपने आप में देश के किसानों का, गाँवों का एक गेम चेंजर के रूप में काम करेगा । जो प्री और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट और लोसेस का जो गैप है, उसको ब्रिज करने का काम करेंगे ।

इसके परिणामस्वरुप, तीनों बिलों की वजह से किसानों की स्थिति सुधरेगी और कंज्यूमर को उसका फायदा होगा, क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे थे कि एग्री सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है और खासकर के पोस्ट हार्वेस्टिंग में बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था । एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट बना है, तो उस समय कंडीशन अलग थी, क्योंकि उसमें डी-रेग्युलेशन और स्टॉक लिमिट का जो मामला है, जो अभी रेग्युलेशन और स्टॉक लिमिट का मामला है, किसी समय रेग्युलेशन लागू हो जाता है, स्टॉक में रेग्युलेशन लागू हो जाता है, पर्टिकुलर एसेंशियल कमोडिटी पर लागू हो जाता है, यही कारण है कि कोई इन्वेस्टर आगे नहीं आ रहा है और इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर और किसान भुगत रहा है । ऐसा लंबे समय से हो रहा है । यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हुआ है । प्रधान मोदी जी को इसके लिए पूरा देश धन्यवाद देता है । मैं यह भी बताना चाहूँगा कि एपीएमसी में जो फार्मर्स प्रोड्यूज ट्रेड एंड कॉमर्स है, क्या अब किसानों को मार्केटिंग की च्वाइस होगी, वे अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकते हैं, उसमें उनको लगभग 25 से 30 प्रतिशत आने वाले समय में फायदा होगा । जब हम किसानों की बात करते हैं तो तीनों को साथ पढ़ा जाना चाहिए ।...(व्यवधान) मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, मेन तो बिल पर आऊँगा, लेकिन जहाँ तक कान्ट्रैक्ट की बात है, हम देखते हैं कि कई बार पर्टिकुलर कमोडिटी का बफर प्रोडक्शन हो जाता है, कई बार कम होता है, लेकिन जब ये इन्वेस्टर इसमें आएंगे और किसानों के साथ यह एग्रीमेंट करेंगे । इन्वेस्टर्स के एग्रीमेंट करने से कम से कम किसानों को यह सर्टेनिटी हो जाएगी । चाहे सर्विसेज हों, चाहे उसके रेट हों, कम से कम उसका उत्पाद उस एग्रीमेंट के तहत बिक जाएगा तो कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो होगा, तो

किसान को एक सर्टेनिटी हो जाएगी कि मेरा उत्पाद इतने में बिक जाएगा और वह बार्गेनिंग पावर में आ जाएगा ।

**माननीय सभापति**: चौधरी जी, आप कान्ट्रैक्ट फॉर्मिंग के ऊपर भी बोलेंगे ।

**श्री पी. पी. चौधरी:** नहीं-नहीं, मैं पूरा बोल रहा हूँ, तीनों पर बोल रहा हूँ । मेन एसेंशियल कमोडिटीज है, लेकिन दोंनों एक-दूसरे से संबंधित हैं । जब हम किसानों के बारे में बोल रहे हैं, मैं उसे टच कर रहा हूँ, मैं मेन एसेंशियल कमोडिटी पर बोल रहा हूँ । हम अपने आपमें यह देखते हैं, तीनों को साथ मिलाया जाए, क्योंकि तीनों एक-दूसरे से संबंधित हैं । यह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो बिल है, यह अपने आपमें एक बहुत ही दूरदर्शी कदम है । यह देश में बहुत ही जबरदस्त कृषि क्षेत्र में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा । यह एक असंगठित क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र के लोग इसमें आने की वजह से इसका सीधा-सीधा फायदा किसान और कंज्यूमर को होगा । इकोनॉमी पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा । मेरा मानना है कि यह एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने आप में एक बिगेस्ट रिफॉर्म है । एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को देखें तो इसे सैक्शन 2(ए) में डिफाइन किया हुआ है और वे कमोडिटीज जो शेड्यूल में लिखी हैं, 7 कमोडिटीज उसमें लिखी हुई हैं, मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि समय लगेगा, लेकिन उन कमोडिटीज को रेग्युलेट करने की पावर गवर्नमेंट को दे रखी है । स्टेट गवर्नमेंट्स भी एक्सरसाइज करती हैं और हम देखते हैं कि जिस हिसाब से जगह-जगह स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसमें पावर एक्सरसाइज की है, क्योंकि यूनिफॉर्म पावर न होने की वजह से कई बार हम देखते हैं कि लाइसेंस देने में, परमिट की, कंट्रोल ऑफ प्राइसेस की, बेचना-खरीदना, स्टॉक लिमिट और इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड एकाउन्ट्स ये सारे के सारे पावर हैं और ये पावर एक्सरसाइज करने से जो एक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहिए, वह इन्वेस्टमेंट नहीं आया । अगर हम देखें कि जिस ऑब्जेक्ट से वर्ष 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था, उसका ऑब्जेक्ट यह था, क्योंकि उस समय जब देश आजाद हुआ, उस समय फूड ग्रेन्स की स्केर्सिटी और शॉर्टेज थी । उस समय ये हमारे पास नहीं थे । उस समय की सिचुएशन अलग है, लेकिन आज की सिचुएशन अलग है । उस समय से हमें

इसमें एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं, उन्हें कंट्रोल करने की पावर गवर्नमेंट को दी गई, क्योंकि उस समय, वर्ष 1955 में कालाबाजारी और जमाखोरी की बात थी। जब आपके पास में फूड ग्रेन्स ही पूरा नहीं है तो उस समय संभव था और उस समय इसका सिग्निफिकेंस और औचित्य था। आज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो धारा जोड़ी गई है, उसका जोड़ा जाना बहुत ही जरुरी है। हम यह देखते हैं कि आज हमारे पास में पर्याप्त फूड ग्रेन्स हैं।

धारा 3 (1)(ए) में जो कमॉडिटीज़ ली गई हैं, हमारे पास वे पर्याप्त मात्रा में हैं और उनमें हम आत्मनिर्भर हैं। ऐसी स्थिति में अगर इन्हें और भी कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोस्ट-हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट है, वह पूरी तरह से फेल हो जाएगा। पोस्ट-हार्वेस्टिंग के सिस्टम में जितनी बॉटलनेक्स होंगी, किसान और उपभोक्ता उतने ही दुखी होंगे।

आज हम जो प्राइस-एस्केलेशन की बात करते हैं तो एसेंशियल कमॉडिटीज़ के कानून में ऐसी कोई चीज नहीं है और अब तक हम लोग प्राइस-एस्केलेशन को नहीं रोक पाएं। इसलिए इसमें जो धारा 3(ए) जोड़ी जा रही है, वह बिल्कुल वाज़िब है।

माननीय सभापति महोदय, जब हम प्राइस रिडक्शन और प्राइस स्टैब्लिटी की बात करें तो आज की स्थिति में एसेंशियल कमॉडिटीज़ एक्ट में उसके स्टॉक को लिमिट करके और रेगुलेट करके, शेड्यूल-ए में दी गई एसेंशियल कमॉडिटीज़ में प्राइस स्टैब्लिटी नहीं ला पाए हैं। उसका कंसेक्वेन्शियल एफेक्ट यह रहा कि किसानों और उपभोक्ताओं को उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज धारा 3(1)(ए) लाई जा रही है, जिसमें डी-रेगुलेशन किया जा रहा है, स्टॉक लिमिट को हटाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों और उपभोक्ताओं को होने के साथ-साथ पूरे देश में एक समान कानून होगा। हमारी सोच 'वन नेशन, वन मार्केट' की है। उस हिसाब से हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे।

अगर हम एसेंशियल कमॉडिटीज़ एक्ट को देखें और अगर मैं वर्ष 2019 की ही बात करूं तो इसमें करीब 76,000 रेड्स हुए। उसका परिणाम क्या निकला?

उसमें कितनी मैनपावर इंवॉल्व हुई? इसका मतलब कि हमें अपने एक्ट को री-विजिट करना जरूरी था क्योंकि उनमें ऐसे-ऐसे केसेज हुए हैं, जिनकी वजह से अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ी है ।

जहां तक इसमें अमेंडमेंट की बात है तो वर्ष 1955 का जो एक्ट है और अभी का जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें पहले रेगुलेशन था और अभी डी-रेगुलेशन है । अब licence, permit, control of price, inspection of books of accounts में डी-रेगुलेशन होगा । इसमें सिर्फ अपवाद यह है कि यह युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा और एक्स्ट्राऑर्डिनैरी प्राइस-राइज होने की स्थिति में लागू नहीं होगा । जहां तक स्टॉक रेगुलेशन की बात है तो उसे हटा दिया गया है । वह बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशन में होगा और एक्सेप्शन यही है । जहां तक प्राइस-राइज की बात है तो अगर पेरिशेबल आइटम्स की प्राइस उसकी एवरेज रिटेल प्राइस से 100 प्रतिशत बढ़ती है या नॉन-पेरिशेबल आइटम्स की प्राइस 50 प्रतिशत बढ़ती है तो उसे देखा जाएगा । पिछले एक साल की एवरेज प्राइस देखी जाएगी और पाँच सालों की एवरेज रिटेल प्राइस ली जाएगी । उसमें जो कम हो, उसके आधार पर इसे करेंगे । ऐसा नहीं है कि इसकी प्राइस ऑटोमैटिक हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इंवेस्टर्स का इसमें विश्वास नहीं होगा । जब तक हमारा पोस्ट-हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त नहीं होगा, तब तक हम किसानों और उपभोक्ताओं को इसका फायदा नहीं दे सकेंगे ।

**HON. CHAIRPERSON :** Chaudhary saheb, very good. You have pleaded the case very well.

**SHRI P. P. CHAUDHARY** : Sir, I am the first speaker. Please give me some more time.

**HON. CHAIRPERSON:** You have already taken thirty minutes.

**श्री पी. पी. चौधरी :** सर, जहां तक स्टॉक लिमिट की बात है, इसमें जहां पर प्रोसेसर और वैल्यू-चेन पार्टिसिपैन्ट्स हैं, वहां पर उनके इंस्टॉल्ड कपैसिटी तक वह चल सकता है । 'डिमांड फॉर एक्सपोर्ट' जितनी होगी, उसके लिए अगर

स्टॉक लिमिट के प्रावधान लागू होते हैं तो वहां यह हो सकता है । वह तभी एक्सपोर्ट होगा । इसमें जो वैल्यू-चेन पार्टिसिपैन्ट्स हैं, जिनमें मान लीजिए कि प्रोसेसर्स हैं, पैकिंग करने वाले हैं, स्टोरेज करने वाले हैं, सप्लाई में लगे लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, इन सभी को जब तक किसी कानून पर भरोसा नहीं होगा, तब तक ये लोग अपना निवेश उसमें नहीं करेंगे । इसलिए यह जो अमेंडमेंट है, वह सभी स्टेकहोल्डर्स के इंटेरेस्ट को बैलेंस करता है । इसमें जो पहले एक्सेसिव रेगुलेशन था, वह अब कम होने की वजह से उन लोगों का विश्वास सरकार में होगा, इस कानून में होगा, और तभी इसमें निवेशक सामने आकर अपने पैसे लगाएंगे ।

जहाँ तक प्राइस राइज़ की बात है, अगर पेरिशेबल आइटम की प्राइस एवरेज रिटेल प्राइस से 100 परसेंट राइज़ होती है, या फिर 50 परसेंट नॉन-पेरिशेबल आइटम की होती है, पीछे की जो एवरेज प्राइस है, उसमें एक साल का देखा जाएगा, पाँच साल की एवरेज रिटेल प्राइस ली जाएगी और उसका जो भी कम से कम प्राइस होगा, उसके आधार पर कीमत तय की जाएगी । ऐसा नहीं है कि वह ऑटोमेटिक राइज़ हो जाएगी । अगर ऐसा होगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका उसमें विश्वास नहीं होगा । जब तक हमारा कोर्स हार्वेस्टिंग मैनेजमेट जबरदस्त नहीं होगा, तब तक हम कंज्यूमर्स और फार्मर्स को फायदा नहीं दे सकते हैं ।

**HON. CHAIRPERSON** : Please conclude now.

**SHRI P.P. CHAUDHARY** : I am concluding Sir.

सर, जहाँ तक स्टॉक लिमिट की बात है, उसमें प्रॉसेसर और वैल्यू चेन पार्टिसिपेन्ट्स हैं । वहाँ उनकी कैपेसिटी तक वह चल सकता है । जो एक्सपोर्ट है, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट जितना होगा, अगर उसके लिए स्टॉक लिमिट लागू होती है तो उस तक हो सकता है । जब भी एक्सपोर्ट होगा और वैल्यू चेन पार्टिसिपेन्ट्स हैं, जैसे प्रॉसेसर, आप उसको पैकिंग करने वाला मान लीजिए, स्टोरेज ले लीजिए, सप्लाई ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, जब तक इन सब का किसी कानून पर भरोसा नहीं होगा, तब तक उसमें इन्वेस्टमेन्ट नहीं आएगा ।

यह जो अमेंडमेंट है, वह सारे स्टेकहोल्डर्स के इन्ट्रेस्ट को बैलेंस करता है । चाहे जितने भी वैल्यू चेन पार्टिसिपेन्ट्स हों, चाहे प्रॉसेसर हो, चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे फार्मर हो, इसमें पहले जो एक्सेसिव रेगुलेशन था, वह रेगुलशन कम होने की वजह से सरकार और इस कानून में एक ट्रस्ट पैदा हुआ है । इससे इन्वेस्टर्स सामने आकर अपना पैसा लगाएगा ।

अब जहाँ तक स्टॉक लिमिट है, मैंने आपको बताया कि 100 परसेंट पेरिशेबल और 50 परसेंट नॉन पेरिशेबल के लिए जो प्राइस ट्रिगर है, वह उस कंडीशन में होगी, जब एवरेज उससे अधिक जाएगा, लेकिन वह ऑटोमेटिक नहीं होगा । मैं यह बताना चाहूँगा कि इसमें फार्मर को एक च्वाइस होगी । मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जहाँ पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात है, फार्मर्स को अब ज्वाइस होगी कि वह अपने प्रोडक्ट को डोर स्टेप पर बेच सकता है और उसको नोटिफाइड मंडी में जाने की जरुरत नहीं होगी । इससे कम से कम यह होगा कि स्टॉक होल्डर्स उसमें जाकर भाग ले सकता है । इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारे जो किसान हैं, वे पहले मंडी में जाने के लिए मज़बूर होते थे । अब इस एसेन्शियल कमोडिटी एक्ट के साथ जब ये सारे फ्री होंगे, तो हमारे वूमेन, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ तथा एससी/एसटी के लोगों की संख्या भी बढ़ेगी । उनको भी आय मिलेगी और काफी फायदा होगा ।

आज हम देखते हैं और मंडी की बात भी हम एक बार ले लें । आज उस किसान को बोली से मुक्ति मिलेगी । जब भी वह मंडी में अपना प्रोडक्ट लेकर जाता है, हमारे गाँवों में कहा जाता है कि बोली किसकी लगती है, जो लिक्विडेशन में आ जाता है, जो दिवालिया हो जाता है । आज तक हमारा जो भी सिस्टम हो, ए.पी.एम.सी. एक्ट जब से चल रहा है, उसका स्ट्रक्चर कलोनिअल टाइम से था । वर्ष 1938 का जो बिल है, उसी के आधार पर यह चल रहा है । उसी के आधार पर हम अभी भी चला रहे हैं । उसकी वज़ह से किसान का जो माल मंडी में जाता है, उस पर बोली लगती है । उसके बायर्स कम हैं और सेलर्स ज्यादा हैं । यह मिसमैच होने की वज़ह से किसानों को भारी नुकसान हो रहा था ।

**HON. CHAIRPERSON:** Thank you.

**SHRI P.P. CHAUDHARY** : I am concluding within a minute. अगर इसमें सारा का सारा देखा जाए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, अब किसानों को सही कीमत मिलेगी । मैं यह भी बताना चाहूँगा कि अभी जो वेस्टेज होती है, जो एक साल का लॉसेज हैं, वह 96,000 करोड़ रुपये का है । चाहे प्याज़ हो और चाहे टमाटर हो, हम देखते आए हैं कि किसान उसे सड़क पर फेंकता है । जब बंपर क्रॉप हो जाती है, क्योंकि आगे बॉटलनेक है और वह बॉटलनेक एसेन्शियल कमोडिटी का है । वहाँ स्टॉक लिमिट होता है । उसमें इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं । अगर इन्वेस्टर्स आ जाए तो उसको टमाटर और प्याज को सड़कों पर नहीं फेंकना पड़ेगा । कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस में इन्वेस्टर्स आएंगे और एक्सपोर्टर्स भी आएंगे । माननीय प्रधानमंत्री जी की यह सोच है कि महिलाओं, गरीबों, एससी/एसटी सहित सभी किसानों को कैसे फायदा मिले, देश में 130 करोड़ कंज्यूमर हैं, उनको फायदा कैसे हो, इसीलिए मेरा कहना है कि यह जो बिल है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

**डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब):** चेयरमैन सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया । मेरे से पहले पी.पी.चौधरी साहब बोल रहे थे, वह मेरे से बहुत सीनियर हैं । उन्होंने बिल्कुल सही कह दिया कि ये जो तीनों फार्म ऑर्डिनेन्स हैं, ये एसेन्शियल कमोडिटी, ट्रेड कॉमर्स और कॉन्ट्रैक्ट फार्म वाले हैं । ये तीनों एक से एक जुड़ी हुई कड़ी हैं । इन तीनों के खिलाफ आज किसान पंजाब, हरियाणा, छतीसगढ़ सहित कई राज्यों में सड़कों पर घूम रहे हैं । इनके बारे में सारे हिन्दुस्तान में खबर है ।

सर, मैं इसी एक्ट पर आता हूँ । यह एक्ट क्यों आया था? This is an Act to provide, in the interests of general public, for the control of the production, supply and distribution of, and trade and commerce in, certain commodities. मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि उतना ही पढ़कर छोड़ रहा हूँ । सेक्शन- 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेन्ट है, वह कहता है, जिसमें यह अमेंडमेंट है, If the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do for maintaining or increasing supplies of any essential commodity or for securing their equitable distribution and availability at fair prices. मैं यह कहना कहना चाहता हूँ कि यह एक्ट एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है । And availability at fair prices, उसकी कीमत वाज़िब रहे, इसलिए सेक्शन-3 है । अब क्या हो रहा है? अब जो अमेंडमेंट हो रहा है, वह अमेंडमेंट क्या है? वह अमेंडमेंट कह रहा है कि Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the supply of such foodstuff, including cereals, pulses, potatoes, onions, edible oil seeds and oil as the Central Government may, by Notification regulate only under extraordinary circumstances.

**<u>18.00 hrs</u>**

अब एक्स्ट्रा आर्डिनरी सर्कमस्टैंसेज़ कर देंगे, which may include war, famine, extraordinary price rise or natural calamity of really grave nature. Not only that Sir, उस पर यह रुक नहीं रहा है । यह अमेंडमेंट उस पर रुक जाती, नहीं रुक रही । सब सैक्शन बी में कह रहे हैं, any action on imposing stock limit shall be based on price rise and an order for regulating stock limit of any agricultural produce may be issued under

this Act only if – and what is the if - if there is hundred per cent increase in the retail price of horticultural produce. हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में क्या आता है, सब्जियां और फल आते हैं, or fifty per cent increase in the retail price of non-perishable cereal and agricultural foodstuffs over the price prevailing immediately preceding twelve months या पांच साल का एवरेज। आगे एक प्रोवीजो डाल दिया कि it shall not apply to a processor or value chain participant.

वैल्यू चैन पार्टिसिपेंट की जो डेफिनिशन दी है, वह इतनी लंबी दी है कि फ्रॉम दी फील्ड टू दी फाइनल कंजंप्शन, जितने लोग आएंगे, वे सारे वैल्यू चैन में हैं। कहने का मतलब यह है कि इसका कोई मतलब यहां नहीं है। कोई लिमिट हो नहीं पाएगी। अब इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट यह है कि केंद्र सरकार यह कहने की कोशिश कर रही है कि किसान से कोई चीज अगर 100 रुपये पर ली जाती है, वह जब तक 199 रुपये पर होगी, तो केंद्र सरकार कुछ नहीं कहेगी, जब 200 रुपये से ऊपर चली जाएगी, तो देखेंगे। इसका मतलब जो गरीब लोग, फार्मर्स और जो कंज्यूमर है, उसके लिए आप 100 पर्सेंट प्राइस बढ़ाना ही चाहते हैं। वह तो आपके कानून में लिखा है। 10 रुपये उनके खर्च में बढ़ जाते हैं, तो उनका सारा बजट मिसप्लेस हो जाता है और आप कह रहे हैं कि यह 100 पर्सेंट हो जाए। एग्रीकल्चर कमोडिटी पर आप 50 पर्सेंट कह रहे हैं। इसका मतलब अगर किसान ने 100 रुपये पर चीज बेची, वह जब तक 150 रुपये पर नहीं हो जाएगी, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से यह सबसे बड़ी बात है कि इतनी प्राइस राइज तक आप इंटरवीन नहीं करेंगे। यह बिल्कुल गरीबों, किसानों के खिलाफ वाली बात है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि यह लागू किस पर होगा? हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम 67 पर्सेंट पॉपुलेशन को पीडीएस दे रहे हैं और बहुत लोगों को यह मिल रहा है। PDS is less than 50 per cent of a family's requirement. इसका मतलब 50 पर्सेंट से ज्यादा वे लोग भी बाजार में खरीदने आते हैं। जो 35-40 पर्सेंट पॉपुलेशन में आता है, वह भी आता है और 80-90 पर्सेंट किसान मार्केट में आता है, क्योंकि वह स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। वह उस बेचारे का थोड़ा सा

सरप्लस प्रोड्यूस होता है, वह उसी वक्त बेच देता है और जब दूसरा सीजन होता है, तो खरीदता रहता है । करीब-करीब सारी जनता इसमें आ जाएगी, जो प्राइस राइज में अब फंसेगी । आप कह रहे हैं कि वह कानूनन है ।

दूसरा क्या है कि स्टेट्स कुछ नहीं कर सकतीं । आपने तो स्टेट्स की पॉवर ही निल कर दी, क्योंकि कानून में ऐसा अमेंडमेंट ला रहे हैं । यह मुल्क इतना बड़ा है, जहां 600 जिले हैं, 6 लाख गांव हैं । आप केंद्र से, दिल्ली से बैठकर 6 लाख गांवों के भावों को कंट्रोल करना चाहते हैं और जब तक डबल न हो, इंटरवीन नहीं करना चाहते । मेरा ख्याल है कि यह बहुत बड़ी गलती है, जो केंद्र सरकार करने जा रही है । अपने मुल्क में इतनी सीजनल वैरिएशन होती है, जब मैरिज वाला सीजन आता है, जब शादियों वाला सीजन आता है, जब फेस्टिवल वाला सीजन आता है, तो डिमांड बढ़ती है, प्राइसेज़ बढ़ते हैं ।

हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, यह बहुत बड़ी बात है । आप किसको फायदा देना चाहते हैं? वैसे  चौधरी साहब ने बोल ही दिया, प्राइस राइज की छोटी फ्लक्चुएशन के बीच में हमें नहीं आना है । बेसिकली इसका फायदा कारपोर्रेट्स और मल्टी नेशनल कंपनी को होना है या जो बहुत बड़ा आदमी है क्योंकि किसान तो उसी वक्त फसल बेच देता है, जो किसान फसल रख सकता है, जिसके पास रखने की कैपेसिटी है, इससे उसको फायदा होने वाला है । जब मार्केट में कमी होगी या प्राइस राइज होगा तब वह बेचेगा । अब इसमें क्या हो रहा है? पंजाब और हरियाणा में मेरे रिश्तेदार फोन कर रहे है कि वे चंडीगढ़ पहुंचना चाहते थे । उन्होंने कई रुट लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाए, हरियाणा में भी वही हालत है ।

आज किसान सड़कों पर क्यों है? मैं केन्द्र सरकार से पूछना चाहता हूं । पंजाब गवर्नमेंट और सारी पॉलिटीकल पार्टियों ने एक रिजोल्यूशन पास किया, उसके बाद विधान सभा ने तीनों आर्डिनेनस और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया । हमारे दोस्त जो पार्टी के प्रधान भी हैं, यहां बैठे हुए हैं, वह एबसेंट हो गए । मैं उम्मीद करता हूं वह आज इस फामर्स एक्ट के खिलाफ

बोलेंगे । पंजाब विधान सभा ने उसका विरोध किया और कहा कि यह किसानों के हितों के खिलाफ है । अब सवाल उठता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

**HON. CHAIRPERSON** : Dr. Amar Singh, you have two more Members to speak from your Party.

… (*Interruptions*)

**डॉ. अमर सिंह :** सभापति महोदय, मैंने अभी एक-दो मिनट ही बोला है ।

**माननीय सभापति :** आप करीब आठ मिनट बोल चुके हैं । आप दो मिनट में कम्पलीट कीजिए ।

**डॉ. अमर सिंह** : सभापति महोदय, मैं अपनी बात जल्दी खत्म कर दूंगा । मैं कहना चाहता हूं कि जब एनडीए गवर्नमेंट पिछली बार आई थी, वर्ष 2002 में भी एनडीए गवर्नमेंट ने यही काम किया था, स्टॉक लिमिट हटा दी थी । अल्टीमेटली देश को इतना बड़ा खामियाजा भरना पड़ा क्योंकि एक्सपोर्ट्स और बड़े लोगों ने इतना एक्सपोर्ट कर दिया कि मिनिमम स्टॉक जितना होना चाहिए था उससे भी कम हो गया । 5.5 million tonnes of food grains were imported at a very high price. फिर हमने बहुत महंगा इम्पोर्ट किया, यह क्यों हो रहा है? हम सब समझते हैं । चौधरी साहब ने कह दिया कि मल्टीनेशनल कंपनी का इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं । मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहा हूं । हमेशा मल्टीनेशनल्स कंपनीज और मल्टीलेटरल आर्गेनाइजेशन का डेवलपिंग कंट्रीज पर प्रैशर रहता है कि एग्रीकल्चर सब्सिडी कम करो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कम करो, स्टॉक लिमिट खत्म करो, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट मत किया करो, बहुत सारी बातें कहते हैं । यूपीए सरकार ने इसे कभी नहीं माना । अब क्या हो रहा है? 2014 में जब से आपकी सरकार आई है, सबसे पहले आप क्या करते हैं । आप शांता कुमार कमेटी बनाते हैं, शांता कुमार कमेटी क्या सिफारिश करती है, एग्जेटली जो मल्टीनेशनल कंपनी और मल्टीलेटरल आर्गेनाइजेशन कह रही हैं । एफसीआई को अनबंनलडिंग करो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कम करो, नेशनल फुड सिक्युरिटी

एक्ट में 76 परसेंट देते हैं उसको 40 परसेंट करो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ । इतना ही नहीं, वर्ष 2018 में एक नई स्कीम लाना चाहते है ।

मैं मंत्री जी से उस पर जवाब चाहूंगा । वर्ष 2018 में सरकार 'पीएम आशा' नाम से स्कीम लेकर आई । 'पीएम आशा' में तीन सब-स्कीम हैं, वह सारी की सारी यही थी कि इसको खत्म करना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना है ।

मैं विनती करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस आर्डिनेस और एक्ट के खिलाफ है । यह लोगों के खिलाफ है, यह गरीबों के खिलाफ है, हम इसका विरोध करते हैं, यह सरकार बिल्कुल गरीबों के खिलाफ है ।

**SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR):** I oppose the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020.

Sir, the original Essential Commodities Act was enacted in 1955.

The object was stated in the preamble. Its object was an Act to provide in the interests of the general public for the control in certain commodities. Though the preamble speaks of `certain commodities' other than those which have been enumerated as `essential commodities', in Section 2, sub-section (a) of the Act, they can come within the purview of the Act.

One of the objectives, rather the prime objectives, of the Act is to regulate the production, supply, and pricing of the essential commodities to ensure availability of the essential commodities at fair prices. The aim of the Act was curbing, hoarding, black-marketing and profiteering in such commodities. The object is to deter a person from dealing in an

essential commodity and consequently impose a deterrent penalty against him. If you read the amendments which have been sought for, this will be established. As it appears from the speech of Shri Choudhary, I have great respect for him, I will say that cat is out of the bag. Now, the objective of curbing, hoarding, black-marketing, and profiteering in such commodities is going to be taken away. That has to be stopped. All are aimed at the purpose of handling by big businessmen.

With regard to Section 3, the amendment which has been sought in respect of that, I will say that deregulating such agricultural foodstuffs from the list of essential commodities will lead to every chance of hoarding than by supplying, thereby resulting in price rise in retail, and ultimately leading to the excessive financial burden on the part of common people. Moreover, as per the amendment, even in extraordinary circumstances, the Central Government only may choose to exercise regulation. Such legislative ambiguity leads to the question of the entire exercise of introducing a particular provision. If you read the words in the amendment itself, may I say, these are extremely vague? It is stated `in case of war'. When would war be treated as declared or undeclared war? Then, it is stated `natural calamity'. If three days' floods are there in Gujarat, it would be declared as natural calamity. But 15 days floods are there in West Bengal, it would not be declared as natural calamity! Therefore, unbridled power, uncanalised power have been sought to be given by this amendment.

Sir, the amendment exempts the processor of value chain participants of agriculture produce from the regulation of the stock limit. If the stock limit of such a person does not exceed the overall ceiling of installed capacity of processing or the demand for export in case of an

exporter, such exemptions, I may say, in terms of removal of stock limit to exporters and traders and value chain participants may not benefit farmers. Instead, it appears to have been done to benefit certain vested giants in this sector.

Sir, it is our common experience. Had it been only for the benefit of farmers, I would not have objected to it. But now because of the amendments, the middlemen will come; the middlemen will take away the benefits.

The middleman will take it. Now, the Government is regulating it. The Government is purchasing from the farmers so that the farmers get the fair price and, at the same time, the customers also get it at the fair price. Now, who will be benefited? The benefits will go in favour of the middlemen. They will hoard it. They will do black marketing.

Let us take the example of potato. Now, potato is purchased from the farmer at Rs. 18 or Rs. 19. It is sold at Rs. 25. If this legislation is implemented, the consumer has to pay for potato, at least, Rs. 50. No control is there. Sir, during COVID-19, these are the extremely bad days. We all are facing the challenge but there are middlemen who are getting benefited in COVID-19. You are taking away the power of the State Governments. That is why this is hitting the cooperative federalism in the country. I will speak for 15 or 30 minutes. I have not spoken enough.

**HON. CHAIRPERSON**: That is not the case. You have already spoken for seven minutes.

**SHRI KALYAN BANERJEE**: Sir, give me another seven minutes.

**HON. CHAIRPERSON**: Kindly conclude. That will not be possible.

**SHRI KALYAN BANERJEE** : Sir, please be kind to me. Mr. P. P. Chaudhary said that the investors will come to the farmers. Yes, this is right but who are the investors? These big businessmen? The Railways will go to the big investors, telecommunication will go to the big investors and agricultural products will go to the big investors, all the private persons will come. I do not know why this privatisation is taking place? Why are so many Ministers required when everything is getting privatised? Let there be privatisation also.

Sir, I will give two or three examples then I will conclude. During COVID-19, mustard oil in April was sold for Rs. 90/kg; in May, it was Rs. 120/kg; and in June, it was Rs. 130/kg. The State Governments had to interfere. The police have made many arrests. Now, it has come down. Soy oil was sold for Rs. 70/kg in April; in May, it was Rs. 90/kg; and in June, it was Rs. 110/kg. Sir, the interference is required. Let me talk about Chana Dal. In April, it was Rs. 62/kg; in May, it was Rs. 82/kg; and in June, it was Rs. 120/kg. Who has interfered? It was the State Government. This Act will be passed by the Central Government but on the ground, who will work? The State Government officers will work. Then, we will not see any Central Government officer there. Nobody is there to stop this black marketing. No one is there.

Everyone has to work for the benefit of the common people. If this legislation is made, the common people will suffer; the farmer will suffer. The farmer is getting a chance to enter into the market through the State Governments. Warehouses are there, but if big industrial houses step in, the prices will fall.

Thank you, Sir, for your kindness.

**SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE):** Hon. Chairman, Sir, thanks for the opportunity given to me to speak on behalf of our DMK Party. This is a great moment for me to address the Parliament on the 112th Birth Centenary of the founder of DMK Party, the man who named the State Tamil Nadu, C.N. Annadurai. I pay my tributes to him, Sir.

Sir, the Essential Commodities Act was enacted in 1955 to ensure availability of essential commodities to consumers at fair prices. Over the years, many essential commodities were added to and removed from the list. However, if you see, the cure suggested through the Essential Commodities Act has proved to be more dangerous than the disease itself. We all know that the Act at times had resulted in spiking of wholesale and retail prices instead of smoothening the same. The Act has discouraged private players to invest in the agriculture sector. Besides, it disincentivised investments in storage and warehousing infrastructure as traders were aware of the unpredictable imposition of the stock limits.

Sir, this Ordinance has to be commended. Though Agriculture is at Entry 14 of State List, Entry 33 of the Concurrent List empowers the Central Government to legislate on production, trade, and supply of foodstuff. By taking the Ordinance route, a clear attempt was made to bypass the parliamentary process. When a proposed amendment is introduced in the Parliament, it is open to debate, scrutiny, comments, and valuable inputs from the stakeholders before it is passed. A critical legislation like this should certainly have been brought before Parliament previously.

The Sarkaria Commission report on Centre-State relations pointed out that the Centre used Entry 33 disproportionately to empower itself in the sphere of agriculture. The power of Centre in agriculture management has certainly increased through this Ordinance. States like Tamil Nadu and West Bengal have repeatedly called for transfer of Entry 33 from the Concurrent List to the State List.

Tamil Nadu was the first State in India to introduce free power for agriculture, by the then ruling DMK Party, to boost agriculture and advocated for fair prices for agri produce. We have to respect and safeguard the State's interests too.

The Ordinance does not define the term 'extraordinary circumstances'. They may include war, famine, extraordinary price rise, and natural calamities of a grave nature. It is not clear. Even in the extraordinary circumstances, the Government only, they say, may choose to exercise regulations. Such legislative ambiguity makes one question the entire exercise of introducing this particular provision.

Drastic changes such as the removal of stock limits and exemption to exporters/traders and value chain participants may not help farmers directly. Big corporate houses or multinational corporations may prefer to stock up their quota at the time of harvest when the prices are low and thus would not need to buy from the farmers when the prices rise. So, at the end of the day, the farmers are going to be affected adversely. If the farmers decide to retain their produce for sale later, prices may not go up or the private sector may not enter the market to purchase. The subjective nature of terms like horticultural produce or perishable agricultural foodstuffs, etc., is also not clear. So, you have to explain and

give a detailed list to the Parliament as to what products you are going to cover under which category.

Another issue is regarding the installed capacity. The Bill does not specify the exceptions for exporters and value chain participants in terms of its capacity whether it be annual installed capacity or monthly installed capacity or daily installed capacity. It is not at all very clear. The Government should clearly mention what they mean.

India no longer faces food shortage problems, according to *The Economic Survey, 2020*. The food grain production has increased since 1950s and India is now an exporter, thereby rendering the Act anachronistic. The amendments were supposed to foster an ecosystem so that the farmers receive fair remuneration for their produce. However, these amendments have made the whole purpose ambiguous and subject to interpretation. For example, in case of exporters, will it be confirmed export order in hand or only the export orders for which LCs have been opened.

Again, all the terminologies are vague and are not clear. The Government has to responsibly clarify all the terms which have been mentioned in the Act. Besides, the major focus of the Bill has been on agricultural items but it ignored sectors like petrol, jute, essential drugs, etc. Why has this been the case?

Chairman Sir, a considerable administrative effort was utilized for the enforcement of the Act, according to the Survey. It was also pointed out that the conviction rate was an abysmal 3.8 per cent. This should, however, not be the reason for diluting the Act. Once cannot ignore the pulses scam that involved the manipulation of prices in 2015. Investigation by the Income-Tax Department found several big MNCs

played a major role in spiking prices of pulses. India is still dependent on the monsoon for producing sufficient food grains. A majority of farm holding in India is small and marginal.

Another locust attack may occur in the near future. The El Nino phenomenon has hit Indian agriculture hard in the past. Given the timing of this amendment, it is likely to benefit big traders, big corporates, and MNCs, but not the farmers directly. Our policies, thus, must ensure sustainable farm growth taking into consideration factors like climate change, land holdings, consumer capacity, and farmers' interests. Like I said, India is a country where the farmers depend heavily on monsoon.

**HON. CHAIRPERSON :** Please conclude now.

**SHRI D.M. KATHIR ANAND**: I am concluding, Sir.

So, the price volatility is expected to happen. This situation has been topped by the Government's arbitrary import-export decisions. In this scenario, is deregulation the only step?

Structurally, farming needs to be made economically and ecologically viable in India for any real progress for farmers. The Government should take steps so that the farmers could withstand weather shocks or crop damages against any sudden locust attacks.

More focus on the establishment of cold storages is necessary. This is an important point that I want to stress to the Government. When you talk about the goods, prices, and the supply chain, cold storages have to be given more importance. If you start making cold storage plants everywhere in India, then you do not need this Act at all. Everywhere, people can store the products and they can sell it at a good price and the

farmers will be benefited. The focus of the Government should be to bridge the urban-rural divide and help farmers get their fair share.

Sir, I urge the Government to reconsider this Bill and send the same to the Select Committee and I object this Bill to be passed in this Parliament. Thank you, Sir.

**DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL):** Thank you, Sir for giving me this opportunity to put forth my YSR Congress Party's views and suggestions on the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020.

At the outset, Sir, I congratulate Government of India on promulgating Ordinance No. 8 of 2020 because we are living in extraordinary times. Bold decisions are needed and the Essential Commodities (Amendment) Bill is one such measure and YSRCP welcomes it. Production of face masks and sanitizers were likewise controlled by Government of India and now we are seeing the good results. We are getting N95 masks at very economical rate and India has emerged as the second largest producer of those items. I once again congratulate the Government of India and hon. Minister of Health.

This Bill primarily seeks to amend the Bill which was enacted to regulate the production and distribution of certain essential commodities. As stated in the Objects of the Bill, farmers need to get better prices and investors need easing out of restrictions and product storage, movement and pricing. In the proposed Bill, the insertion of section 1A states that supply of certain foodstuffs may be regulated only under extraordinary circumstances. It is encouraging for the

entrepreneurs and we welcome it. Stock limit criteria will be imposed only when the price rise of various foodstuffs is between 50 to 100 per cent as compared to preceding twelve months of pricing. This is also a good decision and we welcome it. The processors and value chain participants are also taken care of with regard to regulating stock limit. We believe that these amendments will definitely encourage competition among entrepreneurs and farmers are likely to get better prices for their produce.

**18.33 hrs** (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

The Essential Commodities Act 1955 empowers the Government of India to regulate production and distribution of foodstuffs, fertilizers, drugs and petroleum products. I would like to bring to the notice of this august House the oxygen crisis which is impending on India. As a doctor of medical science, I am able to analyze the situation very easily and warn about the impending oxygen crisis which is also one of the essential commodities. Medical oxygen is a drug and an essential commodity and its rates are controlled by National Pharmaceutical Pricing Agency. The ceiling price of one cubic metre of oxygen is Rs. 17.49. If one bulk cylinder contains nine cubic metres of oxygen, it should be sold at Rs. 157, but now one bulk cylinder of oxygen is sold at Rs. 400 to 500. That is tripling of rates. Who is controlling the escalation of rates in the essential commodity which is essential in this hour? Most of us feel happy that the death rate due to COVID pandemic is less in India when compared to other countries. We should think beyond the death rate. Because of the impending oxygen crisis, the common man is forced to spend lakhs of rupees for medical treatment. If this is unchecked, many of the bankrupt families may take extreme steps like committing suicide in the coming days. As a social worker, I have

observed that immediate persuading factor for most of the farmers and weavers is this persisting medical problem. If we need to prevent suicides in near future, we need to prevent oxygen crisis now. The facilities in most of the Government hospitals are very good but we find patients getting treated in private hospitals and ending up in bankruptcy. Government of Andhra Pradesh is giving Rs. 500 per patient per day and I congratulate and thank the hon. Chief Minister Shri Jagan Mohan Reddy. He stands as an example to the whole of India. I represent Kurnool district which is a backward region of Andhra Pradesh called Rayalaseema, where we do not have a single oxygen plant in four districts. We are dependent on neighbouring States like Telangana, Kerala or Bellary in Karnataka to get our oxygen. So, this issue involves three States. I request the Government of India to take necessary steps to ensure NPPA pricing to be implemented very strictly. We should note that we have seen industrial revolution; we have seen agriculture revolution; now it is time for medical revolution. We need to invest in oxygen plants; we need to invest in medical colleges and we need to incentivize rural hospitals. With regard to Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020, the Ordinance was very timely done. It was brought into force when the black-marketers were exploiting the lockdown. This prevented skyrocketing of prices. We thank the Government of India for this. Our YSR Congress Party proposes a few suggestions in this amendment Bill. We should be able to differentiate between genuine businessmen who are allowed to maintain adequate stocks or inventory and the hoarders who illegally hoard the stocks. We should modernize the post-harvest facilities in a scientific way, we should revisit the Dalwai Committee and speed up the process of implementing the so-called report on doubling the farmers' income. In 1955, when the Essential Commodities Act was made, India was food-

deficient and we were starving for food. Now we are food-surplus. So, these types of amendments are essential. We need not depend on the old Acts. So, we congratulate the Government of India for introducing this Bill and we wholeheartedly support it. Thank you.

**श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य):** सभापति महोदय, आवश्यक वस्तु (संशोधन), अधिनियम, 2020 को लाने का उद्देश्य सरकारी हस्तक्षेप के माध्मय से कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण का प्रयास करना है । ऐसी वस्तुओं को आवश्यक घोषित किया जाता है, जो पूर्व में पारित अधिनियम में घोषित की गई है, जैसा कि खाद्य पदार्थों, ऑयल, कॉटन-यार्न, पेट्रोलियम पदार्थों और सभी खाद, बीज राज्य सरकार और केन्द्र सरकार शासित प्रदेश ऐसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हैं । कोरोना के इस वैश्विक संकट को देखते हुए, सरकार फेस मास्क और सैनिटाजर जैसी वस्तुओं को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाई है । इसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं । मुझ से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने भी इसका जिक्र किया है । उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया है । महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे साहब ने एक निर्णय लिया कि ऑक्सीजन का जितना भी प्रोडक्शन है, उसका 80 प्रतिशत यूज अस्पताल में होना चाहिए और 20 प्रतिशत कॉमर्शियल यूज होना चाहिए । उन्होंने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, उसके कारण महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी की समस्या को सॉल्व किया गया है । इनकी कीमतों पर नियंत्रण रखा जाए, जिससे उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर उपरोक्त वस्तुएं उपलब्ध हो सकें, परंतु देखने में यह आया है कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के नियंत्रण आदेश कई बार थोक और खुदरा कीमतों की स्थिरता को सुचारू करने की बजाय बढ़ाते हैं ।

कई अवसरों पर अन्य कारणों से ये प्रावधान बाजार को संकट के समय अस्थिर बना देते हैं । उन कारणों पर सरकार का अंकुश होना चाहिए और कैसे उन पर नियंत्रण किया जा सकता है, इसका कोई प्रावधान नहीं है ।

महोदय, नियंत्रण आदेश स्टॉक होल्डिंग को सीमित करते हुए थोक विक्रेताओं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और खुदरा खाद्य श्रृंखलाओं सहित पूरी कृषि आपूर्ति श्रृंखला पर समान रूप से लागू होते हैं । इस प्रकार अधिनियम ने सट्टेबाजों के होल्डर्स और संगठनों के बीच अंतर नहीं किया है कि वास्तव में उनके संचालन की प्रकृति के कारण स्टॉक रखने की आवश्यकता है । आपदा के समय स्थिति और बेकार हो जाती है, स्टॉक होल्डिंग बढ़ जाती है और कीमतों पर नियंत्रण रखना सरकार के काबू में नहीं होता है । जैसे मुझसे पूर्व भी माननीय सदस्य ने कहा है कि आपदा के समय पूरा रोष सरकार के ऊपर आता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना सरकार के काबू में नहीं होता है । इस बिल के माध्यम से अगर उसका प्रोविजन होगा तो सभी राज्य सरकारों को सपोर्ट मिल सकता है और आपदा की स्थिति में उस पर नियंत्रण करने के लिए एक कानूनी हथियार मिल सकता है । मेरा सुझाव है कि आपदा के समय के लिए बिल में ऐसे प्रावधान किए जाएं, जिनसे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण हो सके ।

महोदय, ऐसा भी देखा गया है कि विभिन्न समय में अधिनियम द्वारा सरकार का हस्तक्षेप कृषि विपणन में निजी क्षेत्र के बड़े खिलाड़ियों के प्रवेश को विकृत करता है । अभी प्याज का एक्सपोर्ट बंद किया गया है, जिससे किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट के उचित दाम नहीं मिलेंगे । यह भी एक विचारणीय प्रश्न है । हमारे नासिक जिले में प्याज का ज्यादा उत्पादन होता है । वहां के किसानों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है । स्टॉक सीमा के कारण व्यापारी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर कमोडिटी की प्रस्तावित मात्रा देने असमर्थ होते हैं, जो कमोडिटी बाजार के विकास को प्रभावित करते हैं । अभी इस वैश्विक संकट के समय इस बीमारी का इलाज नहीं खोज पाए हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जो साधन आवश्यक है, वे सभी वस्तु अधिनियम में शामिल किए गए हैं । उन पर सख्त प्रावधान किए जाएं, जिससे इस सामूहिक लड़ाई को और उचित ढंग से लड़ा जा सके । जैसा कि मैंने

मास्क और सैनिटाइजर के बारे में कहा है, शुरू में पीपीई किट से संबंधित बहुत समस्याएं आई थीं । कोरोना को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रीकॉशन मेजर्स के लिए जो भी साधन हों, उपकरण हों, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके रेट को कंट्रोल करने के लिए, इस बिल में प्रावधान होना चाहिए ।...(व्यवधान)

महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपदा और वैश्विक संकट के समय आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम को और अधिक सशक्त बनाया जाए, जिससे स्टॉक होल्डिंग और कीमतों पर नियंत्रण लगाया जा सके । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद

**माननीय सभापति:** आप संक्षेप में विषय रखें । आप घड़ी भी देखते रहें । अभी मंत्री जी का उत्तर भी होगा और कुछ वक्ता भी बचे हुए हैं ।

श्री कौशेलन्द्र कुमार ।

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):** सभापति महोदय, आपने मुझे आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, 2020 की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद । महोदय, यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और आम जनता के हितों से इसका सीधा संबंध है । सरकार ने इसके लिए 5 जून, 2020 को एक अध्यादेश के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और 1980 में कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रण करने के अधीन प्रावधान करने की व्यवस्था है । यह कृषि परिवर्तन और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम होगा ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं । जब से एनडीए की सरकार बनी है, तब से लगातार उनका प्रयास यह है कि किसानों की आर्थिक हालत को कैसे सुधारा जाए । उसी की कड़ी में किसानों की

आमदनी दोगुनी कैसे हो, जो किसान अपना अनाज उपजाते थे और उन्हें औने-पौने भाव में बेचना पड़ता था, उन्हें इससे सहायता मिलेगी । मैं समझता हूं कि किसानों की बदहाली को पटरी पर लाने के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं, मैं उसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और बिहार के मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, बिहार में किसानों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृषि रोड मैप बनाकर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम किया है । वे जन-जीवन और हरियाली लेकर आए हैं, मैं इसके लिए उन्हें बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं ।

सरकार का यह मानना है कि संशोधन के अत्यंत विनियामक हस्तक्षेप में कमी से निजी क्षेत्र और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और एफडीआई बढ़ोत्तरी से उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा होगी । निवेश को प्रोत्साहित करना, मूल्यों में स्थिरता लाना एवं खाद्य पदार्थ के विनियमन के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर लागू नहीं होने आदि का लाभ मिलेगा । किसी भी विशेष परिस्थिति में जिसके अंतर्गत युद्ध हो, अकाल हो, असाधारण कीमत वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदा में इसे सरकार वापस भी ले सकती है, इस बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है ।

सभापति महोदय, मैं कुछ आशंका की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसे कि राज्य सरकार के अधिकार और शक्ति में यह कानून हस्तक्षेप करने वाला प्रतीत हो रहा है, इससे राज्य सरकारों के हाथ कमजोर होंगे, जिससे होर्डिंग और मूल्य वृद्धि के नियंत्रण में कठिनाइयां आ सकती हैं । पूंजीपति लोग इसका फायदा उठा सकते हैं । इस स्थिति में दंड का प्रावधान होना चाहिए । अगर कोई कालाबाजारी करता है, तो उसे भी कड़े दंड का भागी बनाना चाहिए । मुझे जहां तक मालूम है, इसे विशेषज्ञ समिति द्वारा सभी बिन्दुओं पर विचार करने के बाद ही प्रारूप दिया गया है, किन्तु राज्यों के अधिकार का बेतहाशा मूल्य वृद्धि रोकना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए । यह कानून सरकार के लिए किसी भी वस्तु के मूल्य नियंत्रण में काफी प्रभावी है ।

**माननीय सभापति** : श्री कौशलेन्द्र कुमार जी, जल्दी कीजिए ।

**श्री कौशलेन्द्र कुमार** : महोदय, एक मिनट । अगर वहां कुछ कुठाराघात हुआ, तो आम जनता को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा । सरकार इन पहलुओं पर अवश्य ध्यान रखेगी ।

महोदय, अब अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य-तेल, टमाटर, आलू, प्याज जैसी वस्तुएं नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो किसानों को बाजार मूल्य का सीधा फायदा होगा । अब यहां एक ही आशंका है कि आम जनता इसकी चपेट में नहीं आए, क्योंकि देश में ऐसा पहले देखा गया है । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । आपका धन्यवाद ।

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** Thank you, Sir. I have three points to make.

The first point is this. The agricultural markets are overstrained by a web of outdated laws. These laws were codified with the food scarcity mindset. India has become surplus in most agricultural commodities. Yet, farmers have been unable to get better prices. There is very little investment in cold storage, warehouses, processing, and export because entrepreneurs get discouraged by the regulatory mechanisms that came into effect through this Essential Commodities Act, 1955.

State intervention at every step is not a smart idea and in today's time, it can often be counter-productive. There was a need to remove many restrictions on trade in agricultural commodities so as to help agricultural growth. This amendment to Essential Commodities Act does that and should, therefore, be welcomed.

The restrictions on hoarding were a legacy of the food crises of the 1950s and 1960s. We do not need these now. Barring a national food emergency, removal of these would help hoarders and stockists and may sometimes help crop prices from falling. I would urge the Government that while liberalizing the regulatory environment, it has to ensure that interests of farmers and consumers are safeguarded.

When you say that the installed capacity of a value-chain participant and the export demand of an exporter will remain exempted from such stock limit in position, then how one is to ensure that the interest of farmers and consumers is protected.

My second point is that on 5th June this year, the Essential Commodities Ordinance, 2020 was promulgated. I remember famous farmer leader, Sharad Joshi of Shetkari Sanghatana and Mahendra Singh Tikait of Bharatiya Kisan Union who had spearheaded farmers' agitation to get free from stranglehold of the restriction that the State had imposed on farmers.

As I was leading the Pragati Odisha Krishak Parishad in Odisha, I had participated in a number of their meetings and agitations. I had interacted with Joshi Ji when he was a Member of Rajya Sabha during Atal Ji's premiership. They would have been the happiest persons to hear about the unshackling of farmers from the artificial restriction that State had imposed on them for the last six decades or so. Those who are critical of this amendment should be aware that trade and commerce of food stuff are in the Concurrent List. Yet I would ask as to why did you bring this change through backdoor and that too in dark hours of a national medical emergency. A high-powered Committee of around eight Chief Ministers starting from Shri Devendra Fadnavis, Captain

Amrinder Singh, Shri Naveen Patnaik, Shri Manohar Lal Khatter, Shri Pema Khandu, Shri Vijay Rupani, Yogi Adityanath, and Mr. Kamal Nath sat twice. Of course, Mr. Narendra Singh Tomar was also a member and so also Ramesh Chand of NITI Aayog. This high-powered Committee sat twice – once in the month of July and another on August 16, 2019. They had recommended removal of stringent restrictions of stock, movement and price control of agricultural food stuffs for attracting private investment in agricultural marketing and infrastructure. One should be clear in this perspective. This is a matter of agriculture. This reform will increase agriculture productivity and improve food markets. Do not confuse this with the increase of farmers' income. This policy change is for agriculture and not for farmers.

Lastly, I would say that the Government should have done away with export restrictions on agricultural commodities. This critical piece is missing. There has been a number of amendments to the Essential Commodities Act. Practically, 13 amendments have already been done after the Act came into existence in 1955 and the last amendment was in 2009. This will be the 14th amendment and I am sure more amendments would also come.

**18.49 hrs** (Hon. Speaker *in the Chair*)

Before concluding, I would say that the Green Revolution and subsequent improvement in agricultural practices have made us self-sufficient in foodgrains. Large scale export of foodgrain is not an ideal thought. It is eminently feasible and has the potential of rejuvenating the agricultural sector. We can counter China's loan diplomacy with our food diplomacy. Most of our neighbours and African countries that have

become Chinese clients are perpetually short of foodgrains which we can provide at a low cost or in exchange for their products.

I support the Bill.

**माननीय अध्यक्ष:** सभी माननीय सदस्यगण से मेरा आग्रह है और मेरा प्रयास रहता है कि अधिकतम माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया जाए, लेकिन समय का अभाव है और इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम इतने लंबे समय तक सत्र चला रहे हैं । आप सभी सीट को कोऑपरेट करेंगे और अपनी बात को दो मिनट में समाप्त करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या सदन इस बात पर सहमत है?

…(व्यवधान)

**श्री भगवंत मान (संगरूर):** सर, हम टेल-एंड पर हैं । …(व्यवधान) हम टेल-एंडर्स हैं । …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** टेल वालों को भी मौका देंगे और हैड वालों को भी मौका देंगे और राज्य सभा में बैठे सदस्यों को भी मौका देंगे, सबको मौका देंगे ।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** दानिश अली जी के लिए दो मिनट एलॉट कर दिए गए हैं ।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** समय को देखते हुए सबको मौका देंगे ।

…(व्यवधान)

**कुंवर दानिश अली (अमरोहा):** अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । आपने मुझे 'दि एसेंशियल कमोडिटीज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2020' पर बोलने का मौका दिया है । चूंकि आपने समय दस मिनट से घटाकर दो मिनट कर दिया है, इसलिए मैं सीधी-सीधी बात करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल पूरे तरीके से किसान विरोधी है । यह बिचौलिए और जमाखोरों को फायदा पहुंचाने वाला बिल है । इस सरकार की मंशा हमारी समझ में नहीं आ रही है कि ये करना क्या चाहते हैं । हर चीज़ को बेचना, हर चीज़ को प्राइवेटाइज़ कर के अपने कॉरपोरेट दोस्तों के हवाले करना और एयरपोर्ट को बेच दो, रेलवे को बेच दो, बंदरगाहों को बेच दो और अब किसानों की जो बची-खुची किसानी बची थी, उनकी आमदनी को भी बेचने का काम, कॉरपोरेट्स और मल्टीनैशल्स के हवाले करने का काम यह सरकार इस बिल के माध्यम से कर रही है । अभी सत्तापक्ष के एक साथी, चौधरी साहब बोल रहे थे कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा । पता नहीं वह इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूं कि कॉरपोरेट्स आएंगे, जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे । जो प्राइवेट शुगर फैक्ट्रीज़ हैं, किसान उनके साथ अपना अनुबंध करता है कि हम गन्ना एक्स शुगर फैक्ट्री को देंगे, लेकिन आज क्या स्थिति है? गन्ना किसानों का एक-एक साल का पेमेंट प्राइवेट चीनी मिल्स नहीं कर पा रही हैं । मेरे स्वयं के लोक सभा क्षेत्र में एक विधान सभा क्षेत्र गढ़ मुक्तेश्वर पड़ता है । वहां एक बड़ी शुगर फैक्ट्री, सिंभावली शुगर फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री पर किसानों का 380 करोड़ रुपया बकाया है । जब मैंने पिछले हफ्ते उस शुगर फैक्ट्री के लोगों से कहा कि उनको भुगतान क्यों नहीं हो रहा है तो यह सरकार किसानों के लिए इतनी सीरियस है कि वहां के जिलाधिकारी और स्टेट गवर्नमेंट के लिखने के बावजूद जो एक्सपोर्ट सब्सिडी की रकम मिलती है, पिछले तीन सालों से वह भी नहीं दी गई है । क्या इससे किसान आत्मनिर्भर होगा? ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं कि किस तरीके से इस आपदा के माध्यम से जो पिछले 70 सालों में इस देश में चीज़ें बनाई गई थीं, जो पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई गई थीं, उनको किस तरीके से बेचा जाए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सरकार को इस बिल पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि यह जो बिल आ रहा है, यह जमाखोरो को लाइसेंस देने वाला बिल है । हम जानते हैं कि आपकी नीयत उन्हीं जमाखोरों को फायदा पहुंचाने की है । अभी सरकार ने वायदा किया है कि इससे किसानों की आमदनी दोगुना होगी, किसानों की आमदनी किस तरह दो गुना हो रही है? किसानों को यूरिया तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है । इस बिल का भी वही हश्र होगा । जिस तरीके से नोटबंदी में एलान किया गया था कि उसका फायदा कालाधन समाप्त करने के लिए किया जाएगा, लेकिन सैकड़ों लोगों की जान लाइनों में लगकर चली गई ।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से पुन: यह आग्रह है, अपील है कि ऐसे किसान विरोधी बिल पर सरकार पुन: विचार करे, इस पर दोबारा गौर करे ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکرصاحب، آپ نے مجھے ایسینشیل کموڈیٹیز بِل پر بولنے کا موقع دیا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیونکہ آپ نے وقت 10 منٹ سے گھٹا کر 2 منٹ کر دیا ہے تو اس لئے میں بھی سیدھی سیدھی بات کروں گا ۔ اسپیکر صاحب، یہ بلِ پوری طرح سے کسانوں کے خلاف ہے، بچولئے اور جمع خوروں کو فائدہ پہنچانے والا بِل ہے۔ اس سرکار کی منشا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ ہر چیز کو بیچنا، ہر چیز کو پرائیویٹائز کرکے اپنے دوستوں کے حوالے کرنا، ائرپورٹس کو بیچ دو، ریلوے کو بیچ دو، بندرگاہوں کو بیچ دو۔ اب بچا کُچا کسانی بچی تھی، ان کی آمدنی کو بھی بیچنے کا کام کارپوریٹس کے ملٹی نیشنل کے حوالے کرنے کا کام اس بِل کے ذریعہ سے یہ سرکار کر رہی ہے۔ ابھی حکمراں جماعت کے ایک معزُز رکن چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا انویسٹمینٹ آئے گا کے اس امینڈمینٹ کے ذریعہ سے پتہ نہیں وہ انویسٹمینٹ کہاں آئے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، ایک مثال دینا چاہتاہوں کہ کارپوریٹس ملٹی نیشنلس آئیں گے وہ اس میں انویسٹمینٹ کریں گے، پرائیویٹ شوگر فیکٹریز ہیں۔ کسان اپنا معاہدہ کرتا ہے ان کے ساتھ کہ گنا ہم ایکس شوگر فیکٹریز کو دیں گے لیکن آج کیا حالت ہے، ایک ایک سال کی پیمینٹ کسانوں کی پرائیویٹ چینی مِل نہیں کر پا رہی ہیں۔ میرے خود کے پارلیمانی حلقہ میں ایک اسمبلی پڑتی ہے گڑھ

مُکتیشور، بڑی شوکر فیکٹری ہے سنبھولی شوگر فیکٹری، ایک فیکٹری پر کسانوں کا 380 کروڑ روپئے کسانوں کا بقایہ ہے۔ اور جب میں نے ابھی پچھلے ہفتہ اس شوگر فیکٹری کے لوگوں کو کہا کہ کیوں نہیں بھُگتان ہو رہا ہے تو یہ سرکار اتنی سنجیدہ ہے کسانوں کے لئے کہ وہاں کے ضلع ادھیکاری اور ریاستی سرکار کے لکھنے کے با وجود جو ایکسپورٹ سبسڈی کی جو رقم ملتی ہے وہ بھی پچھلے تین سالوں سے نہیں ملی ہے تو کسان کیا آتم نِربھر ہوگا آپدہ میں اوسریہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپدہ کے ذریعہ سے پچھلے 70 سال میں اس ملک میں جو چیزیں بنائی تھیں جو پبلک انڈرٹیکِنگس بنائے تھے ان کو کس طریقے سے بیچا جائے۔ میں آپ کے ذریعہ سے اسپیکر صاحب یہی کہنا چاہوں گا کہ سرکار کو اس بِل پر دوبارہ سوچنا چاہیےکیونکہ یہ بِل جو آ رہا ہے یہ جمع خوروں کو لائسنس دینے والا بِل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی نیعت ہے انہیں جمع خوروں کو فائدہ پہنچانے کی۔ ابھی سرکار نے وعدہ کیا ہے کہ کسانوں کی آمدنی دوگنا ہوگی، کسانوں کی آمدنی کونسی دوگنا ہو رہی ہے، کسانوں کی اسپیکر صاحب یوریا تک مہیا نہیں کرایا جا رہا ہے۔ اس بِل کا بھی وہی حشر ہوگا جس طریقے سے نوٹ بندی کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس کا فائدہ کالا دھن ختم کرنے کے لئے کیا جائے گا لیکن سیکڑوں لوگوں کی جان لائنوں میں لگ کر چلی گئی۔ میری آپ کے ذریعہ سے سرکار سے دوبارہ یہ گزارش ہے کہ ایسے کسان مخالف بِل پر سرکار دوبارہ سے غور کرے۔ بہت بہت شکریہ --

**श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी (मेडक):** स्पीकर साहब, आपने मुझे एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2020 के बारे में बात करने का मौका दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

First of all, I would like to draw your attention to some of the major deficiencies in the management of food stocks. The Government just does not know the stocks which are held by the private sector. Hence, production of each and every item must be put in public domain with location of such stocks in all parts of the country.

As we all know, in our country, the surplus of agricultural products is marginal in some regions and high in some other regions. This will give scope to the private traders to purchase these surplus agricultural products at lower prices. The private traders hoard these products with the intention of creating maximum profits. They will sell the surplus agricultural products at higher prices, depending upon the situation which will create imbalance and unnecessary problems in the market which will have impact on the common man. So as to minimize these imbalances, the Government should take precautionary measures by maintaining total information of surplus agricultural products of the country and private traders as per the Essential Commodities Act.

I would like to bring to your kind notice that the Union Government is purchasing only paddy, maize, red gram and cotton. Hence, some other food items need to be purchased from the farmers and markets. We request the Union Government to purchase some more items produced by farmers. Our State is helping the farmers by purchasing almost all food related items from them at the field level.

Now, I can proudly say in the House that our Telangana State Government under the dynamic and able leadership of our Chief Minister Shri K. Chandrashekhar Rao is implementing magnanimous Rythu Bandhu scheme to benefit about 60 lakh farmers. It was paid in two instalments that is in Rabi and Kharif seasons before sowing by

giving Rs. 10,000 per annum for each acre to timely help farmers to produce more items and also to increase their incomes to realize the goal of doubling the farmers income by 2022.

I am happy to say that our State is the largest producer of turmeric in the country. Hence, the Telangana Government is demanding the formation of Turmeric Board which was promised by the BJP Government during the 16th Lok Sabha. For name sake, the Union Government upgraded the divisional office of the Spices Board, but there was no mention of the Turmeric Board. Therefore, we are strongly demanding the establishment of Turmeric Board exclusively.

With these words, I conclude my speech.

*m14

**SHRI SHRINIWAS DADASAHEB PATIL (SATARA)**: Hon'ble Speaker Sir, I would like to thank you from the bottom of my heart for giving me this opportunity to speak in my mother tongue Marathi. I am very optimistic that we will discuss this Bill seriously as you are in the Chair.

All the crops like grains, pulses, oil seeds, vegetables onions tomato, potato and flowers etc are produced by our farmers and there is no binding for them to grow a specific crop. It is expected from the Government that a fair marketing mechanism should be developed for farmers and consumers. The onion growing farmers had much

expectation this time but the Government has banned the export of onions. As a result, the onion prices in the Lasalgaon market have come down drastically and farmers have landed in trouble. I would suggest that dry onion powder should be made. Agro processing is the need of the hour. Government should focus on packaging and processing of agriculture produces.

After Second World War, the prices of jaggery were risen exponentially. Farmers had to suffer heavy losses and that helped the co-operative movement to gain momentum. Same kind of situation is now arisen in case of onions. Due to export ban, the onions in the containers are bound to get rotten as these have not been cleared at the ports. Hence, I would like to request Hon'ble Prime Minister and Agriculture Minister to take necessary steps in this regard.

When my leader Shri Sharad Pawar ji was Union Agriculture Minister, there was no space left for storage of huge agriculture produces. Food grains were easily available for the poor people. Farmers were also fetching remunerative prices for their produces. Due to this Bill, there is a possibility of reduction in the prices of agriculture produces.

Hence, we will definitely support the Government if it is ready to push for agriculture processing. If you can ensure fair and remunerative prices for agriculture produces like turmeric, onions, cotton, sugar etc., it would help the poor and needy farmers of the country.

So, Hon'ble Speaker Sir, I would like to request you once again to give relief to the onion growing farmers of Maharashtra and Karnataka. If the farmers do not have money with them, it would affect the overall economy and other markets too. There is an urgent need to bridge the

gap between producers and consumers. Thank you very much for allowing me to speak in Marathi.

**19.00 hrs**

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यगण, अगर सभा की अनुमति हो तो सभा का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ा दिया जाए ।

**अनेक माननीय सदस्य :** जी सर, बढ़ा दिया जाए ।

**माननीय अध्यक्ष :** पाटिल साहब महामहिम राज्यपाल भी रहे हैं ।

**ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA):** Mr. Speaker Sir, on behalf of CPI(M), I vehemently oppose the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020. I suggest the Government to change the name of this Bill as Food Hoarding Freedom for Corporates Bill, 2020. There are reasons for me to say like this.

What does the Bill do? The Essential Commodities (Amendment) Bill removes the supply of all food commodities from regulation under Essential Commodities Act except in extraordinary circumstances. The price limits set for such extraordinary circumstances are so high that they are likely to be never triggered and even in those cases, big companies like Adanis would be exempted from any stock limits.

In the parent Act, the restriction was on the agri-business companies and traders. Now, those restrictions are being removed for all the food commodities. So, it provides them to purchase and store any quantities,

hence indulge in hoarding. Therefore, it should be called as 'Food Hoarding (Freedom for Corporates) Bill. The companies like Adani Wilmar, Reliance, etc. will now have freedom to stock any amount of food commodities. This freedom was only with farmers and Food Producer Organisation until now.

They will build huge storage and processing facilities, and build complete market domination. This means that they will dictate terms to farmers which is likely to lead to less prices to farmers, and not more income. It has been established that when there is price rise in retail market, the benefit is not passed on to the farmers but when there is a price fall, the loss is passed on to the farmers. For example, Adani Wilmar imports large quantities of oil and pulses from its holdings in other countries, including Africa.

Adani Wilmar is investing 350 million dollars in Bangladesh for setting up of a food processing industry. Since there will be no limit on stocking in India, imports by Adanis from their businesses abroad can dominate Indian market in a bigger way. The Government is willingly curtailing its power to protect the interests of most of the marginalised citizens, and protecting the interests of hoarders and big businesses.

Sir, using its powers under the Act, enables the State Governments to issue control orders, regulate the movement of goods within and across the States and fix stock limits. It could make licensing compulsory and even impose levy on production of goods. The States made full use of these powers and thousands of police cases were registered every year for alleged violations of control orders. This power of the States will cease, except in extra-ordinary circumstances. So, it needs a wide discussion. Therefore, I request the Government to

consider sending this Bill to the Select Committee, and come back with a reasonable modification.

I again say, I vehemently oppose the Bill. Thank you.

**SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI):** Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. Sir, while talking about the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020, I would like to say that the intention of the Government may be good but at the same time, if you make a meticulous analysis of the Bill, you will be convinced that there are a lot of ambiguities in this. Not only that, there are loopholes which may be misused while implementing the things.

Sir, the Central Government is getting more powers in this. Of course, that may also be needed. It empowers the Government to control production, supply, distribution, trade and commerce in certain commodities. It aims to liberate regulatory system, and extend income like benefit to farmers. There intention may be that but you have to examine whether all these dreams are going to be fulfilled. That is to be analysed further.

Sir, imposition of stock limit and the conditions stipulated to it should be discussed in detail. It may have a chance of misuse. My learned friends have already explained about that, and I do not want to elaborate that.

Sir, this empowers the Government to declare a commodity as essential. Government can control the production, supply and

distribution of the commodities and impose a stock limit. I apprehend that the Government is getting an extra constitutional power in this, and it may go to any extent.

With regard to its definition, there is no clarity. The clarity was there in the parent Act of 1955. When we are making a new law, I feel that the clarity should be there. There is a lack of clarity, especially in the case of definitions.

Sir, as far as India is concerned, I do not want to go into figures, we proudly say that we have achieved so much in agriculture sector. The main handicap for the farmers is marketing. So, we have to interfere in the market not only in the case of essential commodities, but also marketing is very important for all agricultural products. The Government may have very good expectations. But I would like to suggest that the Central Government should initiate consultations with State Governments to increase the number of agricultural markets and create marketing infrastructure in States which do not have APMCs.

Similarly, even in the case of markets, it was suggested in the past that there should be Gramin Haats . That is also very much necessary. My learned friends were expressing some anxiety about this measure. Who is going to be the ultimate winner here? That is a point to be discussed. When we are making such a legislation, we have to be very careful about it. You have taken the route of ordinance; I do not want to say much about it; that itself is a fault. But whatever it may be, we have to examine as to who is going to gain out of this measure. I apprehend that the big guns may fish out of troubled waters; they make use of the situation for their benefit. So, I would like to suggest that in this kind of things the ultimate benefit should go only to the farmers. My friends

were talking about exploitation of farmers. Therefore, I would like to say that all these apprehensions must be addressed by the Government.

With these few words, I conclude.

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे बोलेंगे तो आपको मौका नहीं दूंगा। आप बैठे-बैठे कमेंट्स करेंगे तो आपको मौका नहीं दूंगा।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप प्लीज़ बैठ जाइए। आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको मौका मिलने वाला है, नहीं तो आपको मौका नहीं मिलेगा।

…(व्यवधान)

*m17

**SHRI SUKHBIR SINGH BADAL (FEROZPUR):** Hon'ble Speaker Sir, the Central Government brought three Ordinances in June, 2020. It was claimed that these Ordinances are for the welfare of the farmers. We are discussing the Essential Committees Bill today. The Bills pertaining to the other two Ordinances will be discussed tomorrow. All the three Ordinances had been brought by the Central Government together.

Sir, let me say that firstly, the Ordinances should not have been brought. No discussions were held with the concerned parties and

stakeholders. Farmers organizations and other parties should have been brought in the loop.

Hon'ble Speaker Sir, I, myself, am a farmer. The majority of workers of my party Shiromani Akali Dal hail from the farming community. Our leadership itself hails from the farming community and we work for the welfare of agricultural class. Shiromani Akali Dal is a 100 year old party and we have been at the vanguard during peasant movements and struggles.

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे बोलेंगे तो आपको मौका नहीं दूंगा। आप बैठे-बैठे कमेंट्स करेंगे तो आपको मौका नहीं दूंगा।

…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप प्लीज़ बैठ जाइए। आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको मौका मिलने वाला है, नहीं तो आपको मौका नहीं मिलेगा।

…(व्यवधान)

**SHRI SUKHBIR SINGH BADAL :** Sir, Shiromani Akali Dal has always been in favour of farmers. When we talk about peasant leaders, the names of three stalwarts flash in the mind : Chaudhary Devi lal, Chaudhary Charan Singh and Sardar Parkash Singh Badal. All the three leaders devoted their lives for the cause of the farmers. My father Sardar Parkash Singh Badal was incarcerated in jail for 16 long years. As he talked about the welfare of the poor and the farmers, the Congress party put him in jail. But, our Party never compromised on the matter of the interests of the farmers.

Sir, before bringing in these Ordinances, the Central Government should have held detailed discussions with pro-farmer parties like the Shiromani Akali Dal. Wide consultations were needed. However, Shiromani Akali Dal was not consulted regarding the merits or demerits of this ordinance. When it was placed in the Cabinet for approval, our representative had cautioned the Government and said that several apprehensions needed to be allayed. The farmers of Punjab and elsewhere were very apprehensive. We asked for delaying the Ordinance.

For the last two months, we talked to farmers and other stakeholders and came to know about their apprehensions. I am a farmer. I know about the difficulties faced by the farmers during selling and marketing. I know about the problems that arise due to MSP. I know about the problems that arise at the time of procurement.

Sir, Punjab is at the forefront when it comes to contributing food-grains in the central pool. Our land area is 2% but we contribute 50% of wheat for the central kitty. Similarly, we provide 40 to 45% rice for the central pool.

We know that all these three Ordinances have left an adverse impact on Punjabi farmers. The marketing system of Punjab and Haryana are the best. I don't know about the impact of these Ordinances on other States. But, our state Punjab has borne the brunt of these three Ordinances. The farmers of Punjab want that their apprehensions should be allayed. However, I am sorry to say that we have got no answers from the Centre.

What are the apprehensions? Earlier, in the Essential Commodities Act, there was a limit. But, now the limit has been done away with.

Now, traders can purchase any amount of foodgrains etc…

**माननीय अध्यक्ष :** श्री भगवंत मान ।

**श्री भगवंत मान (संगरूर):** स्पीकर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद ।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** एक मिनट इनको बोलने दो ।

**श्री सुखबीर सिंह बादल :** मैं एक किसान के पास गया । दो-तीन दिन पहले की बात है । मैंने उनसे पूछा कि आप इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ क्यों हो? एक गरीब सा किसान बैठा हुआ बोला कि जैसे जब रिलायंस जियो लेकर आया था, उन्होंने फोन मुफ्त कर दिया था । जब सारे लोग जियो फोन लेने लग गए, उनकी सारी कम्पीटिशन खत्म हो गई, तो उसने रेट बढ़ा दिए, दस गुणा कर दिए । उनके मन में है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी अभी कम करके देंगी, सब फैसीलिटीज़ देंगी, जब इनका कंट्रोल हो गया, तो कब्जा कर लेना है । मैं चाहता हूँ, हमारा शिरोमणि अकाली दल किसी के दबाव के नीचे नहीं हैं, यह हमारी पार्टी की सोच है । यह पंजाब के किसान की, पंजाब के व्यापारी की, पंजाब के आढ़तियों की, पंजाब के मजदूर जो खेतों में काम करते हैं, उनकी भावनाएँ हैं कि इस कानून में बहुत शंकाएँ हैं, उनकी बहुत रिजर्वेशन्स हैं । जब तक ये रिजर्वेशन्स दूर न हों, यह ऑर्डिनेंस न लाया जाए । क्योंकि यह ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आई है…(व्यवधान)

**श्री भगवंत मान (संगरूर):** स्पीकर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद । आपके पास स्पीच बंद करने वाली जो घंटी है, उसको न बजने की उम्मीद के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ । सर, मैं पंजाबी में बोलूंगा, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं सीधा विषय पर आता हूँ ।

*Sir, Aam Admi Party vehemently opposes this lopsided Bill. This Bill provides freedom and license to black-marketers, profiteers and

hoarders. I am amazed that the Akali Dal President, who considers himself the messiah of farmers, is now opposing this Bill. In Punjab, they support this Bill. But, here, they oppose this Bill. They voted for NRC here. But, in Punjab, they opposed the same Bill. He is opposing this Bill but his Party is enjoying the fruits of Ministership in this Government. They are not even ready to resign from Ministership. Now, they have the excuse that they had not read the Bill in its entirety. How is this Bill anti-farmer now? Earlier, he was courting Shri Narinder Tomar ji and took him to Chandigarh.*

ये नरेन्द्र तोमर जी को लेकर चंडीगढ़ गए, इन्होंने उनसे बयान दिलवाया कि यह तो बहुत अच्छा बिल है । अभी कुछ दिन पहले चिट्ठी जारी की कि बहुत अच्छा बिल है, कमाल का फैसला है, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा, यह क्रान्तिकारी बिल है ।

Sir, the capitalists will have a field day. The stock-holders will exploit the farmers.

Sir, I have been a student of commerce. There is a rule of Economics: More supply, less demand; less supply, more demand. इकोनॉमिक्स का रुल है, मोर सप्लाई लेस डिमांड, लेस सप्लाई मोर डिमांड । सप्लाई और डिमांड जब हम उनके हाथ में दे देंगे, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे देंगे तो महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? जब मर्जी जिस चीज की सप्लाई कम करके वे महंगाई बढ़ाएंगे ।

सर, फूड ग्रेन हमेशा से जरुरी वस्तुओं की लिस्ट में रहा है । सब कुछ बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, आप भेल बेच दो, बैंक्स बेच दो, सिर्फ किसान रह गया था, किसान भी इन्होंने बेच दिया । पंजाब में किसान सड़कों पर हैं ।

सर, जमीन को माँ कहा जाता है, किसान अपनी माँ को बचाने के लिए आज सड़कों पर हैं । मैं इस बिल का विरोध करता हूँ । इस बिल को वापस करना

होगा । सरकार इसे वापस ले ।

**SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM):** Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me the opportunity to speak on this important Bill. The old Act which had been enacted was in 1955. The circumstance at that time was that there was scarcity in agricultural production. But right now, if you see, the agricultural scenario has changed; the circumstances are different. Now, we have an integrated market with surplus production. But the only problem we are still facing is that the farmer is not being able to benefit from whatever situation is there today. Much of it has been implied due to the Act that was there earlier which restricted the agricultural investments that have been coming into this sector. Now, the intention is to improve the investment scenario so that farmers have a choice in who to trade with and further benefit from this trading.

Before I support this Bill, I have some concerns that I would like to put forward to the Central Government. One of them, which many hon. Members have also mentioned, is the extraordinary circumstances. There is a reason that this has to be properly defined. I would like to do it with an example also. Recently, we had a locust attack in Gujarat, Punjab and Rajasthan. During this time, if you look at that attack, it does not come under war, famine, flood or any other natural calamity. So, how do these kinds of situations be addressed through this Bill is something which the Central Government should answer.

Also, there is an issue about cooperative federalism. Agriculture is supposed to be on the State List. This is something which is related to agriculture. Let us say, there is scarcity of cereals in Andhra Pradesh and not in Punjab, then how will they discuss this scenario with the States and ensure that they also have the right in deciding whatever the regulation of the food stocks is? Hoarders and firms, because of the nature of their process, have to be defined in the original Act, which is not there. So, there is an opportunity to, at least, define the terms 'hoarders' and 'firms' in this Act, which has not been done. All the hon. Members have been mentioning as to how the private players can take this as an advantage. Though it is not an intention, yet, because of the loophole, there can be a misuse of this law so that the rich players can do lot of hoarding. So, the Central Government should ensure that, that situation does not arise.

FCI has a good mechanism of stock management system. It is a computerised system. But how will they ensure that this is also followed by the private players? How will they know how much stock is there with each company or each player present in this? That needs to be clarified.

Other than this, the installed capacity which determines the limit of stock, is it going to be based on the annual installed capacity or the monthly installed or the daily installed capacity? That is something which needs to be clarified.

With these concerns, I would like to support this Bill. Thank you, Sir.

**माननीय अध्यक्ष :** श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले । आपको सिर्फ एक ही बात कहनी है ।

**SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):** Sir, the Bill mentioned that he had taken consultations with several States including my State, Maharashtra and the CM had agreed to this model. I would like to clarify that when I verified this, this was the earlier Chief Minister, and I came to know that the Maharashtra Government has not agreed to this model. So, I just want to ask one pointed question to the Minister whether the Agricultural Prices Commission was discussed at that particular meeting when Maharashtra had made recommendation that this Act would only trigger in a situation of a formula. That formula was not informed to our State. So, where is this 50 per cent and 100 per cent that you have come to? That was not discussed in the consultations which they had with my State. We do not support it. I am just putting that on the record. The Minister could kindly explain how will our States be protected.

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR):** There is an adage which is very much popular in Bengal that once bitten twice shy. Bengal is such a State which had witnessed a horrendous and notorious famine which even took a toll of more than forty lakh people. So, I am very much apprehensive of the context of the legislative document whereby, by implication, hoarding will be legalised.

Sir, the Bill is replete with various ambiguities which needs to be explained by the hon. Minister. The issue is that the Bill does not define what installed capacity signifies. And on that issue, I have brought one amendment also. This leaves room for exploitation by potential hoarders and black-marketeers who can create multiple entities with installed capacities or fine and other ways to gain the system. सर, इससे जमाखोरों को आत्मनिर्भर करने का प्रयास हो रहा है । जब प्रवासी मजदूर रास्ते पर चलते-चलते मौत के शिकार होते थे तो उसके लिए सरकार कहती है कि यह भगवान का काम है । उसे 'एक्ट ऑफ गॉड' बताती है, लेकिन इस बिल में होर्डर्स के लिए आत्मनिर्भरता का प्रावधान है । This Bill is a highly centralised law. Under this law, licences are not required for farm purchases. Anyone with a valid pan card – individual or enterprise – from any part of the country can purchase the produce. Now, a capital intensive company can enter and change the market dynamics and make the market – oligopoly or duopoly – like the mobile sector, which is against the small organisation and competitive in nature of the market. Nobody can store beyond the capacity. Earlier existing has become a redundant law. But big players can have warehouses of expanding upto infinite capacity and they can store buying the future option of foodgrains and control the demand and supply. There lies our objection.

सर, यह सरकार हर बात में ऑर्डिनैंस का सहारा क्यों लेती है? ऐसा क्या हो गया था? Is there any definite reason? Is there any reason for invoking the Ordinance? सरकार हर बात के लिए ऑर्डिनैंस लाना चाहती है । ऐसा क्या हुआ था? इस ऑर्डिनैंस के साथ पैनडैमिक का क्या रिश्ता है, सरकार और मंत्री जी दयापूर्वक इसे बताएं । ऑर्डिनैंस और पैनडैमिक के बीच क्या सम्बन्ध है?

सर, जैसा कि मैंने कहा, इस ऑर्डिनैंस का पैनडैमिक के साथ कोई रिश्ता नहीं है । यह ऑर्डिनैंस सिर्फ जमाखोरों की मदद करने के लिए है । इसलिए मैं सलाह देता हूं कि इस सेन्ट्रलाइज्ड कानून के बदले आप सूबे की सरकारों के

साथ बातचीत करके एक मॉडल एक्ट बनाने की कोशिश करें क्योंकि इसमें हिन्दुस्तान के हर सूबे का पार्टिसिपेट करना, शिरकत करना जरूरी है ।

**माननीय अध्यक्ष:** निशिकांत जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

**डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा):** जी ।

**माननीय अध्यक्ष:** निशिकांत जी, बस एक सेकेण्ड में अपनी बात कहें ।

**डॉ. निशिकांत दुबे** : अध्यक्ष महोदय, यहाँ अभी कोऑपरेटिव की काफी बात हुई । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह और कमलनाथ जी, कांग्रेस के इन दो चीफ मिनिस्टर्स के अलावा वह जो कमेटी थी, जिसने यह रेकमेन्डेशन किया, यदि उन सारे मुख्यमंत्रियों का नाम ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस में दे देंगे तो यह जो इतना डिस्कशन हो रहा है, शायद हम लोगों को उससे सुविधा होगी कि कौन-कौन उस कमेटी में थे और उन्होंने क्या रेकमेन्ड किया ।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आपके दल के एक माननीय सदस्य को मैंने मौका दिया । आप मेरी बात सुनिए । मैं व्यवस्था दे रहा हूँ । भारतीय जनता पार्टी की संख्या के अनुसार वहाँ पर 10 लोगों को मौका मिलना चाहिए । आपके दल के आधार पर एक सदस्य को मौका दिया । अब आप ही बोलेंगे या आपके दल के और लोग भी बोलेंगे, इससे आप अपने दल में न्याय नहीं कर पाएंगे ।

माननीय मंत्री जी ।

**श्री दानवे रावसाहेब दादाराव:** अध्यक्ष महोदय, 19 माननीय सदस्यों ने इस बिल की चर्चा में भाग लिया । मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूँ, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और सपोर्ट किया ।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का संशोधन करने के लिए 5 जून, 2020 को अध्यादेश जारी किया । अध्यादेश के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3 में एक नई उप-धारा 1(क) जोड़ी गई है । आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के आवश्यक वस्तुओं को धारा 2(क) के अंतर्गत सात वस्तुओं को घोषित किया गया है । इसमें दवाई, फर्टिलाइजर, खाद्य पदार्थ, कपास निर्मित सूत, पेट्रोलियम पदार्थ, जूट और बीज हैं । आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केन्द्र सरकार को निम्नलिखित शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं । आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रण करने के लिए लाइसेंस देना, खरीद और बिक्री की कीमतों पर नियंत्रण करना, सांख्यिकी आँकड़ों का संग्रहण करना और बहीखातों का निरीक्षण करना शामिल है ।

अध्यक्ष महोदय, जब भारत स्वतंत्र हुआ, इस देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी । गेहूँ, चावल, दालें जैसे खाद्यानों की देश में कमी थी । डिमांड और सप्लाई की चेन को ठीक रखने के लिए और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम 1955 का प्रावधान किया गया ।

अध्यक्ष महोदय, जब समय-समय पर देश की कृषि उपज की स्थिति की समीक्षा की गई, तो तुलनात्मक विश्लेषण यह निर्देशित करता है कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है । मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 1955-56 में गेहूँ का उत्पादन केवल 100 लाख मीट्रिक टन था, जो आज वर्ष 2018-19 में 1,000 लाख मिट्रिक टन से अधिक है । यह आज दस गुना बढ़ा है । चावल का उत्पादन 250 लाख मीट्रिक टन था, जो आज 1100 लाख मीट्रिक टन हुआ है । यह चार गुना बढ़ा है । वैसे ही दलहन और तिलहन की भी लगभग यही स्थिति है । अगर हम इन आँकड़ों को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि अब भारत खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना है । भारत में बड़े पैमाने पर कृषि

उत्पादन होने के बावजूद खाद्य महँगाई प्रमुख चिंता का विषय हमेशा से रहा है । फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012-13 के उत्पादित आँकड़ों पर प्रमुख कृषि उपज की हार्वेस्टिंग के बाद नुकसान का ऑकलन किया, जिसका अनुमान 92,000 करोड़ रुपये लगाए गए हैं । सबसे अधिक नुकसान फलों और सब्जियों का पाया गया है । इसको कम करने के लिए हमारे पास प्रोसेसिंग सुविधा होनी चाहिए । आवश्यक वस्तु अधिनियम का यह संशोधन इन वस्तुओं की सप्लाई चेन से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा । परिमाणस्वरुप कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही भंडारण सुविधाओं में विस्तार और तकनीकी सुधार के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता होगी ।

अध्यक्ष महोदय, कई सारे रिसर्च रिपोर्ट्स द्वारा यह पाया गया है कि किसानों को कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग आदि में निवेश की कमी के कारण बेहतर कीमतें नहीं मिल पाईं । इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि इन्वेस्टर्स इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों के कारण इस क्षेत्र में निवेश करने से दूर रहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि उपरोक्त बातों के संदर्भ में नीति आयोग द्वारा मुख्य मंत्रियों की एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई थी । इस पर विस्तृत चर्चा की गई । कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें हाजिर थे । इसकी दो बार बैठकें हुईं । समिति में पंजाब, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री शामिल थे । इस समिति ने इन्वेस्टर्स द्वारा निवेश आकर्षित करने के लिए ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उस समय महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री देवेन्द्र जी फडणवीस, एच. डी. कुमारस्वामी, मनोहर लाल खट्टर, पेमा खांडू, विजय रूपानी, योगी आदित्यनाथ, कमलनाथ, नरेन्द्र सिंह तोमर और रमेश चन्द्र जी, अपने कृषि मंत्री इस समिति में शामिल थे । ...(व्यवधान) उनके अर्थ मंत्री थे ।...(व्यवधान) वह समिति में थे, लेकिन मीटिंग में वह थे । ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य आप मंत्री जी को गाइड मत करिए ।

**श्री दानवे रावसाहेब दादाराव :** वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कमलनाथ जी भी थे ।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, प्लीज ।

**श्री दानवे रावसाहेब दादाराव:** इस समिति ने इनवेस्टर्स द्वारा निवेश आकर्षित करने के लिए खाद्यान्नों की आवाजाही और उनकी कीमतों पर प्रतिबंध जैसे उपायों को भी हटाने की इन मुख्य मंत्रियों ने सिफारिश की ।

इसी के साथ खाद्यान्नों के मूल्य नियंत्रण के लिए स्टॉक लिमिट जैसे प्रतिबंधों को कीमतों के साथ जोड़ने की भी सिफारिश की । जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना संकट के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हमें यह समझना जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में वर्तमान आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने की क्षमता है । इसीलिए, किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस क्षेत्र में तत्काल निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने की आावश्यकता थी, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे और साथ ही सरकारी नियंत्रणों के भय को दूर करे । इस विधेयक में यह उल्लेखित किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कृषि खाद्यान्नों की आपूर्ति को केवल असामान्य परिस्थितियों में रेग्युलेट किया जाएगा, जैसे युद्धजन्य परिस्थिति है, अकाल है, असाधारण मूल्य वृद्धि है और गंभीर प्राकृतिक आपदा है । इसके अलावा स्टॉक लिमिट तभी लगाई जा सकती है, जब हार्टिकल्चर के उत्पादों की कीमतें 100 पर्सेंट बढ़ती हैं, खाद्यान्नों की कीमतें, जो नॉन पैरिशेबल हैं, उनकी कीमतें 50 पर्सेंट बढ़ती हैं । यह कीमतों का आकलन पिछले 12 महीने की कीमतें या पिछले 5 साल की रिटेल कीमतें, इनमें से जो भी कम हो, उस पर आधारित होगी । यह स्टॉक लिमिट प्रोसेसर या वैल्यू चैन में जुड़े निवेशकों पर लागू नहीं होगी । स्टॉक सीमा का यह आदेश प्रोसेसिंग करने वालों को उनकी स्थापित क्षमता तक लागू नहीं होगा । एक्सपोर्टर के मामले में अगर उसके पास एक्सपोर्ट का आर्डर है तो उस एक्सपोर्ट होने वाले स्टॉक पर स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय, स्टॉक लिमिट का भय नहीं रहने के कारण इनवेस्टर ज्यादा माल खरीदेगा, जिससे बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी और इसकी खरीद का दाम बढ़ेगा । इस कारण किसान को उसके माल का उचित मूल्य मिलेगा । हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि नए प्रावधान के कारण इनवेस्टर्स इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे जिससे किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा और उनकी आय बढ़ने में सहायता होगी ।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा भारत सरकार देश की 130 करोड़ जनता को आत्मनिर्भर बनाने की एक विशेष पहल कर रही है । यह विधेयक कृषि क्षेत्र की सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला तंत्र को मजबूत करेगा । इस विधेयक से न सिर्फ किसान, बल्कि सभी उपभोक्ता और इनवेस्टर के लिए एक सकारात्मक वातावारण का निर्माण होगा, जिससे देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा ।

अत्यन्त विषम परिस्थितियों में जब खाद्यान्नों के मूल्य में आसाधारण रूप से वृद्धि होगी, तब हम अपने बफर स्टॉक से खाद्यान्न बाजार में लाकर मूल्य नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी कष्ट का सामना न करना पड़े ।

इसी के साथ, घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को नियंत्रित किया जा सकता है । स्टॉक लिमिट के सम्बन्ध में सरकार ने जो खुद पर मर्यादायें निश्चित की हैं, इससे इनवेस्टर्स में सकारात्मकता बढ़ेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिसका लाभ हमारे देश के किसानों और उपभोक्ताओं को होगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कोरोना महामारी की परिस्थिति में खाद्यान्नों के दामों में असाधारण वृद्धि होने की सम्भावना थी । देश में यातायात प्रभावित होने के कारण कृषि क्षेत्र की सप्लाई चैन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था, जिसका परिणाम देश के किसानों और उपभोक्ताओं को झेलना पड़ता ।

किन्तु भारत सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की, जिसके तहत देश भर में अस्सी करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया गया, परिणामस्वरूप इस क्षेत्र से जुड़ी सप्लाई चेन पर कोई नकारात्मक परिणाम नहीं हुआ। यही नहीं इस काल में किसानों से बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की गई।

मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृष्टिकोण को एक बार फिर उजागर करना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में देश में किसानों की आय को दोगुनी करने का संकल्प है। इस संकल्प पूर्ति की दिशा में यह विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में वोकल फॉर लोकल को केन्द्र बिन्दु मानकर मोदी सरकार निश्चित रूप से काम करने के लिए कटिबद्ध है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस विधेयक को पास किया जाए।

**प्रो. सौगत राय:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बयान दिया, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं एक चीज उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ी है। लेकिन आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि हमारी जनसंख्या भी बढ़ी है। वर्ष 1951 में 360 मिलियन जनसंख्या थी, अभी जनसंख्या 1.30 बिलियन है यानी एक सौ तीस करोड़ है। आपको इतनी बड़ी जनता को खिलाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

मैंने अपने भाषण में बोला है। हमने देखा कि कोविड के कारण कुछ लोग माइग्रेंट बन गए, उसको कितनी समस्या हुई, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, सरकार ने माइग्रेंट लेबर के बारे में कुछ नहीं किया। रावसाहेब दानवे जी, कुछ नहीं किया गया। लोग रास्ते में जाते-जाते मर गए। यह आपने देखा होगा। ...(व्यवधान)। मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा।

वर्ष 1955 से एसेंशियल कमोडीटीज एक्ट था, इसमें तेरह अमेंडमेंट्स हुए । लेकिन इसमें पहली बार अमेंडमेंट करके आप स्टॉकिंग का डाएल्यूशन कर रहे हैं । मुझे एक सवाल रावसाहेब दानवे से पूछना है । आप महाराष्ट्र से हैं, आप प्याज की समस्या को समझते हैं । आप कह रहे हैं कि any action on imposing stock limit may be issued under this Act only when there is 100 per cent increase in the retail price of horticultural produce. महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्याज का उत्पादक है, नासिक उसका केन्द्र है । आपने सौ परसेंट इनक्रीज करने के लिए बोला, यह किस बेसिस पर बोला । क्या देवेन्द्र फड़नवीस उस समय इससे एकमत हो गए थे? प्याज की प्राइस की समस्या हर साल होती है । यह पेरिशबल कमोडीटीज है, आपने उसके बारे में सोच कर किया? सौ परसेंट कैलकुलेट करने के पहले कृषि वैज्ञानिकों से कन्सलंट किया, आपने उनसे कन्सलट नहीं किया । यह आपका एक खराब कानून है । इस कानून से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के किसान, जहां से आप आते हैं, वह सफर करेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में नहीं रखा ।

आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं डिवीजन नहीं मांगूगा । अदरवाइज डिवीजन मांगूगा और आपका समय बर्बाद होगा । एक मिनट में खत्म करता हूं । यह लोकतंत्र है, डिवीजन मांगना मेरा अधिकार है । बाबुल सुप्रियो जी आप चिल्ला कर मुझे रोक नहीं सकते । मैं खत्म कर रहा हूं ।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप आसन को धमकी न दें कि मैं डिवीजन मांग लूंगा !

**प्रो. सौगत राय:** महोदय, यह आर्डिनेंस बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में है, रिलायंस और अडानी ग्रुप को वेयर हाऊसिंग में घुसने का मौका देने के लिए ऐसा किया है ।

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**माननीय अध्यक्ष:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

**Clause 2 Amendment of Section 3**

**माननीय अध्यक्ष:** प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**PROF. SAUGATA ROY:** Yes Sir. I beg to move:

Page 1, line 11,--

*after* "extraordinary Price rise."

*insert* ",pandemic due to spread of communicable diseases". (1)

Page 2, line 6, --

*for* "fifty per cent."

*substitute* "hundred per cent.". (2)

Page 2, for lines 8 and 9, --

*substitute* "Over the price prevailing immediately preceding twenty-four months, or average retail price of last eight years, whichever is lower". (3)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**श्री अधीर रंजन चौधरी:** माननीय अध्यक्ष, मैं संशोधन संख्या 5 को ही प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि यह बड़ी एम्बीगुइटी है, इसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए ।

I beg to move:

Page 2, *omit* lines 10 to 13. (5)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 6 से 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** I beg to move:

Page 1, line 12, --

*after* "calamity of grave nature"

*insert* ",disaster, or under any other circumstances the Central Government or State Government deem Fit". (6)

Page 2, line 4, --

*for* "hundred".

*substitute* "forty". (7)

Page 2, line 6, --

*for* "fifty".

*substitute* "twenty". (8)

Page 2, line 10, --

*omit* "not". (9)

Sir, I did not get an opportunity to speak on the Bill. I strongly oppose the Bill and fully support the Statutory Resolution. The main aim of this Bill is to attract private investment in agricultural marketing and infrastructure and to increase the competitiveness and to enhance the farmers' income.

My only question to the hon. Minister is whether the aims and objects stated in the Statement of Objects and Reasons are being fulfilled and whether he is able to achieve them. The farmers are not being benefited. The only beneficiary of this legislation is the multi-national retailers or the big corporates. The aim stated in the Bill is to enhance the income of the farmers during the times of this COVID-19 pandemic situation. It is quite unfortunate. As per the original Act of 1955, it is a protective measure for the customers as well as the farmers. As per the original Act, it is gainful for the customers as well as the farmers. Both have benefited by the Act of 1955. But unfortunately you are taking away that regulation. Supply of goods regulation as well as the stock regulation are being taken away.

Now you are saying that if you are having 100 per cent price increase for the horticultural products for the last 12 months, then only it will be reviewed and it is 60 per cent in the case of perishable goods.

In my amendments, I am saying that let it be reduced to 40 per cent and 50 per cent.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to another very important point. It is regarding the explanation given to the expression "value chain participant". It is being stated that the

distributor will also come within the purview of the "value chain participant". That means, all the retailers, including Adani, Reliance, etc. will come within the purview of "value chain participant". That is why I am saying that this is beneficial to these corporate retailers.

Therefore, I oppose the Bill and move the amendments.

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 से 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री टी. एन. प्रथापन, उपस्थित नहीं ।

श्री बैन्नी बेहनन, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI BENNY BEHANAN(CHALAKUDY):** Yes Sir.

I beg to move:

Page 1, line 12, --

*after* "grave nature"

*insert* "and pandemic". (11)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री बैन्नी बेहनन, क्या आप संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI BENNY BEHANAN:** Sir, I beg to move:

Page 2, line 4,-

*for* "hundred per cent."

*substitute* "fifty per cent.". (12)

Page 2, line 6,-

*for* "fifty per cent."

*substitute* "twenty-five per cent.". (13)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री बैन्नी बेहनन, क्या आप संशोधन संख्या 14 और 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**SHRI BENNY BEHANAN:** Sir, I beg to move:

Page 2, line 8,-

*for* "twelve months."

*substitute* "nine months". (14)

Page 2, line 9,-

*for* "five years"

*substitute* "two years". (15)

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 और 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

**श्री दानवे रावसाहेब दादाराव:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है, उन सभी बातों को विधेयक बनाते समय ध्यान में रखा गया है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

-

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

-

**माननीय अध्यक्ष :** सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

## 19.52 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock on Wednesday, September 16, 2020/Bhadrapada 25, 1942 (Saka)*

---

*** The Report was presented to Hon'ble Speaker (17th Lok Sabha) on 23rd April, 2020 under Direction 71 A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha when the House was not in Session and the Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Report under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.**

**$ The Report was presented to Hon'ble Speaker (17th Lok Sabha) on 31st July, 2020 under Direction 71 A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha when the House was not in Session and the Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Report under Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.**

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT -2508/17/20.

** Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* English translation of the speech originally delivered in Nepali.

* Not recorded.

* Expunged as ordered by the Chair.

* Expunged as ordered by the Chair.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Not recorded.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

* Treated as laid on the Table.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

* ……* English translation of this part of the speech originally delivered in Punjabi.